SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सत्यमेव जयते

लेखे एक दृष्टि में

2022-23

सत्यमेव जयते
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार



लेखे एक दृष्टि में

2022-23

प्रधान महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी)

सत्यमेव जयते
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2022-23 के 'लेखे एक दृष्टि में' के हमारे इस वार्षिक प्रकाशन के पच्चीसवां संस्करण को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष है जो सरकारी कार्यकलापों, जैसा कि वित्तीय लेखाओं तथा विनियोग लेखाओं में प्रदर्शित हैं, को व्यापक अधि-दृष्टि प्रदान करता है।

वित्तीय लेखे, समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा की संक्षिप्त-विवरणियां हैं। विनियोग लेखे राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित किए गए प्रावधानों के अन्तर्गत अनुदान-वार व्यय को दर्शाते हैं तथा वास्तविक व्यय और प्रदत्त-निधियों के बीच अन्तरों की व्याख्या करते हैं।

नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के दिशा-निर्देशों के अधीन मेरे कार्यालय द्वारा राज्य-विधायिका के पटल पर रखे जाने हेतु वार्षिक वित्तीय तथा विनियोग लेखाओं को तैयार किया गया है।

हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शिमला
दिनांकः 05 दिसम्बर 2023

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

हमारा दृष्टिकोण, उद्देश्य तथा आन्तरिक मूल्य

दृष्टिकोण

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के संस्थान का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि हम क्या बनना चाहते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षण एवं लेखांकन के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पद्धतियों की पहल तथा विश्वव्यापी नेतृत्व की ओर हम सतत अग्रसर हैं और लोक वित्त एवं अभिशासन पर स्वतन्त्र, विश्वसनीय, संतुलित तथा समय-बद्ध रिपोर्टिंग हेतु जाने जाते हैं।

उद्देश्य

हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को निरूपित करता हैं तथा हमारे आज किए जाने वाले कार्य को परिभाषित करता है।

भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित, हम उच्च गुणात्मक लेखा-परीक्षण तथा लेखांकन के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा सदभाव-पूर्ण अभिशासन को प्रोन्नत करते हैं तथा अपने पणधारियों, विधायिका, कार्यपालिका तथा जनता को इस बात से आश्वस्त करते हैं कि लोक-निधियों को दक्षता-पूर्वक एवं अपेक्षित-उद्देश्यों हेतु ही उपयोग किया जा रहा है।

आन्तरिक मूल्य

हमारे आन्तरिक मूल्य हमारे समस्त कार्य-कलापों के मार्गदर्शक संकेत हैं तथा हमें हमारी निष्पादिता के आंकलन हेतु सन्दर्भिका प्रदान करते हैं।

- स्वतंत्रता
- वस्तुनिष्ठता
- सत्यनिष्ठा
- विश्वसनीयता
- व्यावसायिक उत्कृष्टता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
अध्याय I	**अधिदृष्टि**	
1.1	भूमिका	1
1.2	सरकारी लेखाओं की संरचना	2-3
1.3	वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे	3-6
1.4	निधियों का स्त्रोत तथा अनुप्रयोग	6-9
1.5	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005..	10-12
अध्याय II	**प्राप्तियाँ**	
2.1	भूमिका	13
2.2	राजस्व प्राप्तियां	13-15
2.3	कर राजस्व	15-17
2.4	कर वसूली में लागत	18
2.5	संघीय करों में राज्य के अंश का पिछले पांच वर्षों का रूझान	18
2.6	सहायता-अनुदान	19
2.7	वस्तुओं एंव सेवा कर (जी.एस.टी.)	20
2.8	लोक ऋण	20-21
अध्याय III	**व्यय**	
3.1	भूमिका	22
3.2	राजस्व व्यय	22-24
3.3	पूंजीगत व्यय	24-26
अध्याय IV	**विनियोग लेखे**	
4.1	विनियोग लेखों का सारांश 2022-23	27
4.2	विगत पांच वर्षों में बचत/आधिक्य का रूझान	27
4.3	महत्वपूर्ण बचतें	28-29
4.4	बजट प्रावधान के साथ पुनर्विनियोजन	29-31

पृष्ठ संख्या

अध्याय V	**परिसम्पतियां तथा दायित्व**	
5.1	परिसम्पतियां	32
5.2	ऋण तथा देनदारियाँ	33
5.3	प्रतिभूतियाँ	34
अध्याय VI	**अन्य मदें**	
6.1	आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष	35
6.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम	35
6.3	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता	35-37
6.4	रोकड़-शेष तथा रोकड़-शेष का निवेश	37-38
6.5	लेखों का मिलान	38
6.6	उचन्त शेषों एवं प्रेषण शेषों की स्थिति	38-39
6.7	लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की स्थिति	39-40
6.8	राष्ट्रीय पैंशन प्रणाली	40
6.9	व्यक्तिगत जमा खाते	40
6.10	रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक जमा)	41
6.11	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि	41
6.12	राज्य आपदा शमन कोष (एस.डी.एम.एफ.)	41
6.13	राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि	41-42
6.14	राज्य सरकार द्वारा लगाये गए उपकर	42
6.15	आपत्ति पुस्तिका में उचंत लेखे के तहत दर्ज/हटाये गये लेनदेन	42
6.16	एकल नोडल एजेंसी बैंक खाते में पड़ी अव्ययित राशि	43

अध्याय I

अधिदृष्टि

1.1 भूमिका

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हिमाचल प्रदेश विभिन्न एजेसियों द्वारा प्रेषति किए गए खातों के आंकड़ों का मिलान, वर्गीकरण, संकलन करता है तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखे तैयार करता है। यह संकलन 18 जिला खजानों, 93 लोक निर्माण मण्डलों, (74 भवन एवं सड़कों, 08 राष्ट्रीय राजमार्ग, 06 यांत्रिक, 05 विद्युत), 70 जल शक्ति विभाग के मण्डलों द्वारा प्रेषित प्रारम्भिंक लेखाओं तथा अन्य राज्यों/लेखा कार्यालयों एवं भारतीय रिजर्व बैंक की सम्मतियों पर आधारित होता है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष प्रतिमाह मासिक सिविल लेखा प्रस्तुत किया जाता है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा सरकार के व्यय की गुणवत्ता एवं महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतकों की तिमाही टिप्पणी भी राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), वार्षिक रूप से, वित्त लेखे और विनियोग लेखे भी तैयार करता है जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा लेखापरीक्षा के बाद राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण किया जाता है।

1.2 सरकारी लेखाओं की संरचना

1.2.1 सरकारी लेखाओं को निम्नलिखित तीन भागों में रखा जाता है:-

सरकारी लेखाओं की संरचना

भाग 1
समेकित निधि

कर तथा गैर -कर राजस्वों सहित सरकार के सभी राजस्वों उठाऐ गये ऋण एवं दिये गये ऋणों की अदायगी (उन पर ब्याज सहित) समेकित निधि में जमा होते हैं। ऋणों की अदायगी तथा लिए गए ऋणों की वापसी (ब्याज सहित) सरकार की समस्त खर्चों तथा संवितरणों को इस निधि से वहन किया जाता है।

भाग 2
आकस्मिकता निधि

विधानपालिका द्वारा प्राधिकरण के अधीन यह आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय स्वरूप की है जिसे अप्रत्याशित-व्यय के लिए खर्च किया जाता है। बाद में इस प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति आकस्मिकता निधि से की जाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार की इस निधि हेतु कायिक-राशि ₹ 5.00 करोड़ है।

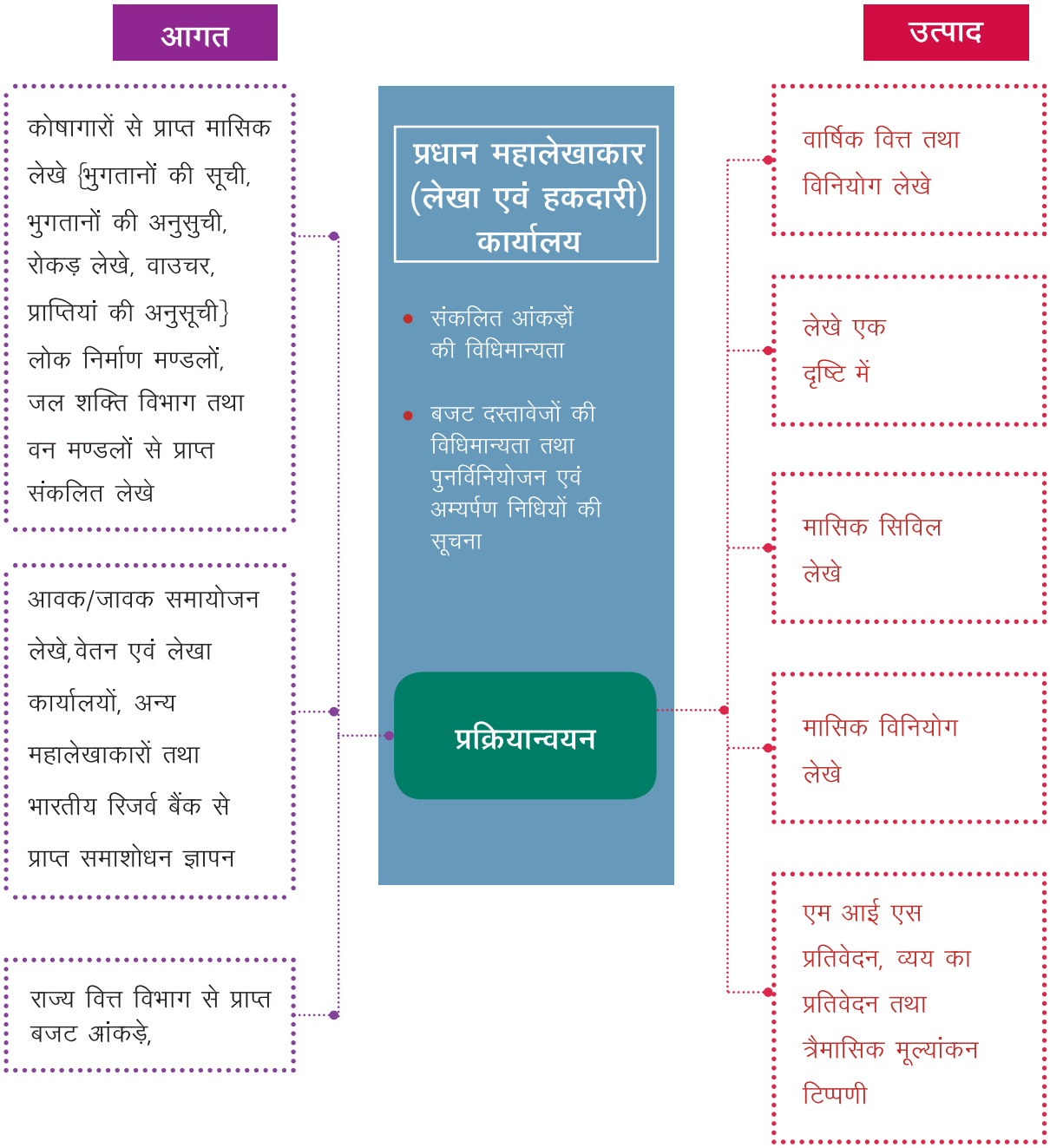
भाग 3
लोक लेखा

समेकित निधि को क्रेडिट की जाने वाली राशि के अलावा अन्य प्राप्त सभी लोक धन राशियों को लोक-लेखा के अधीन लेखाबद्ध किया जाता है। ऐसी प्राप्तियों के सम्बन्ध में सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। लोक लेखा के अन्तर्गत समाहित है:

लघु बचतों तथा भविष्य-निधियों जैसी वापसियां, आरक्षित निधि, जमा तथा अग्रिम, उचन्त तथा विविध लेन देन (अन्तिम लेखा शीर्षो में बुकिंग के अधीन समायोजन प्रविष्टियां) लेखा संस्थाओं के बीच सम्प्रेषण तथा रोकड़ शेष।

1.2.2 लेखाओं का संकलन

लेखा संकलन हेतु प्रवाह आरेख



1.3 वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे में अभिलेखित राजस्व तथा पूंजीगत लेखाओं, लोक ऋण तथा लोक-लेखा शेषों द्वारा उजागर वित्तीय परिणामों के साथ-साथ उस वर्ष में सरकार की प्राप्तियां तथा संवितरण इंगित की जाती हैं। वित्त लेखे को ज्यादा व्यापक तथा सूचनापूर्ण बनाने के लिए इन्हें दो खण्डों में तैयार किया गया है। वित्त-लेखे के खण्ड-I में भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र, समग्र

प्राप्तियों तथा संवितरणों की सारांश विवरणियां एवं सार्थक लेखाकरण नीतियों, लेखाओं तथा अन्य मदों की गुणवत्ता को समाहित करती 'वित्त लेखाओं पर टिप्पणियां' का समावेश किया जाता है। खण्ड-II के अन्तर्गत विस्तृत विवरणियां (भाग-I) तथा परिशिष्ट (भाग-II) समावेश किया जाता है।

वित्त लेखों में आंकड़े शुद्ध आधार पर दिखाए जाते है यानी सकल व्यय माइनस रिकवरी और सकल प्राप्तियां माइनस रिफंड जबकि विनियोग लेखों में आंकड़े सकल आधार पर दिखाए जाते है।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा सम्बन्धित वर्ष हेतु अनुमोदित व्यय के अतिरिक्त राज्य में विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए भारत सरकार राज्य क्रियान्वयन एजैंसियों/गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को पर्याप्त निधियों का प्रत्यक्ष रूप से अन्तरण करती है। ऐसे अन्तरणों (इस वर्ष ₹ 2,938 करोड़ की राशि) को राज्य सरकार के लेखों में दर्शाया नहीं गया है, अपितु वित्त लेखे के खण्ड-II में परिशिष्ट-VI में प्रदर्शित किया गया है।

1.3.2 वर्ष 2022-23 में वित्तीय आर्कषण

निम्न तालिका बजट अनुमानों के अनुसार, बजटीय प्राप्तियों और संवितरणों को वर्ष 2022-23 के वित्त लेखों के अनुसार वास्तविक प्राप्तियों और व्यय के साथ दर्शाती है। प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के लिए नियोजित और वास्तविक मूल्यों का भी वर्णन किया गया है।

तालिका 1.1 हिमाचल प्रदेश के वित्त का स्नैपशॉट (वर्ष 2022-23)

(₹ करोड़ में)

क्र0 स0	विवरण	बजट प्राक्कलन 2022-23	वास्तविक आंकड़े 2022-23	बजट प्राक्कलनों के साथ वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता	जी.एस.डी.पी. के साथ वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता (#)
1.	कर राजस्व (संघीय भाग सहित) (क)	18,750	18,479	99	9
2.	गैर कर-राजस्व	3,023	2,876	95	1
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	17,172	16,734	97	9
4.	*राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)*	38,945	38,089*	98	19
5.	ऋणों व अग्रिमों की वसूली**	94	83	88	---
6.	अन्य प्राप्तियां**	---	13	100	---
7.	उधार तथा अन्य दायित्व (ख)	12,483	12,380	99	6
8.	*पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)*	12,577	12,476	99	6
9.	*कुल प्राप्तियां (4+8)*	51,522	50,565	98	26
10.	*राजस्व व्यय*	45,115	44,425	98	23
11.	ब्याज अदायगियों पर व्यय (राजस्व व्यय में से)	4,784	4,829	101	2
12.	*पूंजीगत व्यय*	6,311	6,029	96	3
13.	*ऋणों तथा अग्रिम (ग)*	96	111	115	---
14.	*कुल व्यय (10+12+13)*	51,522	50,565	98	26
15.	*राजस्व घाटा (-) राजस्व आधिक्य (+) (4-10)*	(-)6,170	(-)6,336	103	(-)3
16.	*राजकोषीय घाटा (4+5+6-14)*	(-)12,483	(-)12,380	99	(-)6
17	*प्रारम्भिक घाटा*	(-)7,699	(-)7,551	98	4

(क) इसमें राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश ₹ 7,884 करोड़ सम्मिलित है राज्य सरकार की निजी कर प्राप्तियाँ ₹ 10,595 करोड़ थी जो कि जी.एस.डी.पी. का 5 *प्रतिशत* है।

(ख) उधारी तथा अन्य दायित्वः- लोक-ऋण की शुद्ध राशि (प्राप्तियां - संवितरण) + आकस्मिकता निधि की शुद्ध राशि + लोक लेखा की शुद्ध राशि (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारम्भिक तथा अन्तिम रोकड़ शेष की शुद्ध राशि।

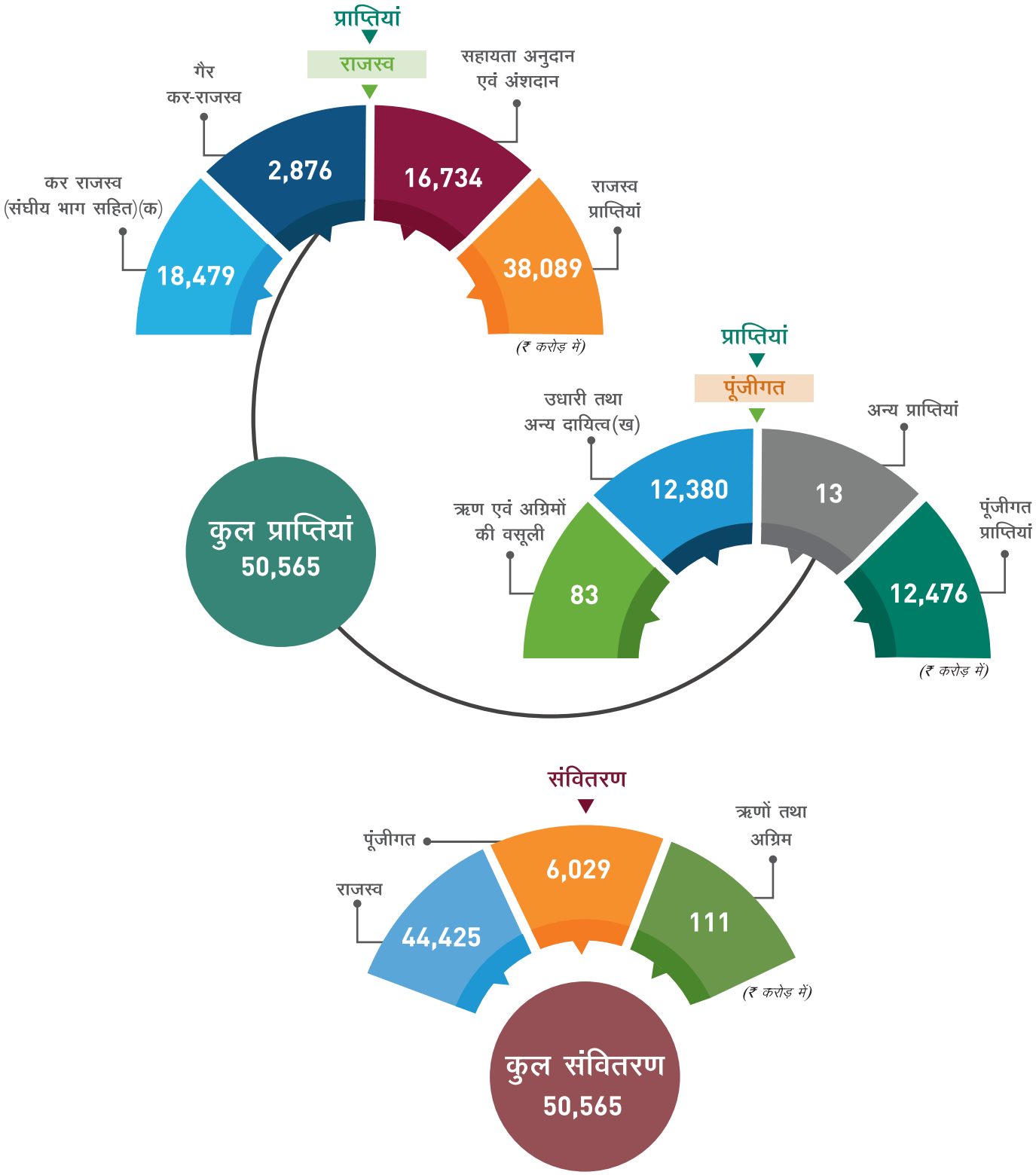
(ग) ऋण तथा अग्रिम (₹ 111 करोड़) = राज्य योजना (₹ 105 करोड़) + केन्द्रीय योजना (₹ 5 करोड़)

\# हिमाचल प्रदेश का जी.एस.डी.पी.(सकल राज्य घरेलु उत्पाद) विधान सभा में प्रस्तुत संशोधित अनुमानों के अनुसार 2022-23 के लिए ₹ 1,95,404 करोड़ है।

* बुक-समायोजन द्वारा ₹ 2 करोड़ की राशि शामिल है।

** प्रतिशतता नगण्य थी अतः -- दर्शाया गया है ।

वर्ष 2022-23 की प्राप्तियां व संवितरण



(क) इसमें राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश ₹ 7,884 करोड़ सम्मिलित है (राज्य सरकार की निजी कर प्राप्तियाँ ₹ 10,595 करोड़ थी जो कि जी. एस. डी. पी. का 5 *प्रतिशत* है)।

(ख) उधार तथा अन्य दायित्वः- लोक-ऋण की शुद्ध राशि (प्राप्तियां-संवितरण) + आकस्मिकता व्यय निधि की शुद्ध राशि + लोक लेखा की शुद्ध राशि (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारम्भिक तथा अन्तिम रोकड़ शेष की शुद्ध राशि।

1.3.3 विनियोग लेखे

संविधान के अनुच्छेद-204 व 205 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यय विधायिका के प्राधिकरण के बिना नहीं किया जा सकता है। संविधान में वर्णित कुछ ऐसे व्ययों को छोड़कर, जिन्हें समेकित-निधि को प्रभारित किया जाता है तथा विधायिका के वोट के बिना खर्च किया जा सकता है, बाकी अन्य सभी व्यय "दत्तमत" होना आवश्यक है। 2022-23 के हिमाचल प्रदेश के बजट में 32 अनुदान थे और इन अनुदानों के तहत 13 प्रभारित विनियोजन थे। विनियोग लेखाओं का उद्देश्य यह दर्शाना है कि प्रति वर्ष के विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधायिका द्वारा प्राधिकृत विनियोग का वास्तविक व्यय किस सीमा तक अनुपालना करता है विनियोग लेखों में आंकड़े सकल आधार पर दिखाए गए है।

1.3.4 बजट तैयारी में दक्षता

वर्ष के अन्त में, हिमाचल प्रदेश सरकार का वास्तविक व्यय विधायिका द्वारा अनुमोदित बजट ₹ 67,733 करोड़ के सम्मुख ₹ 63,463 करोड़ था। ₹ 4,932 करोड़ की कुल बचत और ₹ 662 करोड़ का व्यय आधिक्य था अतएव ₹ 4,270 करोड़ की निवल बचत हुई। ₹ 662 करोड़ की अधिकता 16 अनुदानों से सबंधित (i) भूमि राजस्व और जिला प्रशासन, (ii) पुलिस और संबन्ध संगठन (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (iv) बागवानी (v) पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन (vi) चुनाव (vii) उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी (viii) ग्रामीण विकास (ix) सहकारिता (x) खाद्य और नागरिक आपूर्ति (xi) विधुत विकास (xii) सड़क और जल परिवहन (xiii) श्रमं, रोजगार और प्रशिक्षण (xiv) शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना और आवास (xv) वित्त (xvi) विविध सामान्य सेवाएं जिन्हें नियमित करने की आवश्यकता है। जबकि प्रभारित विनियोगों में अतिरिक्त (₹ 0.20 करोड़) केवल दो अनुदानों में हुआः (i) शिक्षा (ii) सिंचाई, जल आपूर्ति और स्वच्छता। अतिरिक्त व्यय को विधायिका द्वारा नियमित करने की आवश्यकता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, चार अनुदानों के अन्तर्गत ₹ 1 करोड़ का व्यय बिना बजट प्रावधानों के किया गया अर्थात अनुदान संख्या 7 (पुलिस और संबन्ध संगठन), 8 (शिक्षा), 9 (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), और 11 (कृषि)। बिना बजट प्रावधान के व्यय वित्तीय नियमों के उल्लंघन को दर्शाता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, बजट में योजना के बिना अधिसूचित किए गए व्यय के कारण प्रधान महालेखाकार (ले.व ह.) की पुस्तकों में ₹ 0.20 करोड़ की राशि ''उचंत'' के अंतर्गत रखा गया है।

1.4 निधियों का स्त्रोत तथा अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले आपेक्षित न्यूनतम नकद शेषों में कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम लिए जाते है। वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 4,043 करोड़ की राशि अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त किया गया तथा उसी ₹ 4,043 करोड़ का पुर्नभुगतान किया गया।

1.4.2 भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले आपेक्षित न्यूनतम नकद शेष में ₹ 0.55 करोड़ से कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम के पश्चात् ओवर ड्राफ्ट लिया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, 19 दिनों के लिए ₹ 2,744 करोड़ ओवरड्राफ्ट उठाया गया और पूरा भुगतान किया गया।

1.4.3 निधि प्रवाह विवरणिका

31 मार्च 2023 को राज्य का राजस्व घाटा ₹ 6,336 करोड़ तथा राजकोषीय घाटा ₹ 12,380 करोड़ था। राजकोषीय घाटा की पूर्ति निवल लोक ऋण (₹ 12,236 करोड़), लोक लेखा में बढौतरी (₹ 100 करोड़) और आदि शेष तथा अन्त रोकड़ शेष में निवल घाटा

(₹ 44 करोड़) द्वारा की गई। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 38,089 करोड़) का लगभग 84 *प्रतिशत* वेतनों (₹ 15,569 करोड़), ब्याज-अदायगियों (₹ 4,829 करोड़), पैंशन (₹ 9,284 करोड़), उपदान (₹ 1,973 करोड़) तथा मजदूरी (₹ 282 करोड़) जैसे प्रतिबद्ध-व्यय पर खर्च हुआ।

निधियों का स्त्रोत तथा अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

स्त्रोत

01 अप्रैल 2022 को आरम्भिक रोकड़ शेष	(-)45
राजस्व प्राप्तियां	38,089
पूंजीगत प्राप्तियां	13
ऋणों व अग्रिमों की वसूली	83
लोक ऋण	22,372
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	3,633
आरक्षित तथा निक्षेप निधियां	741
प्राप्त जमा	5,946
चुकता किए गए सिविल अग्रिम	...
उचन्त लेखे	40,864*
सम्प्रेषण	8,179
योग	1,19,875*

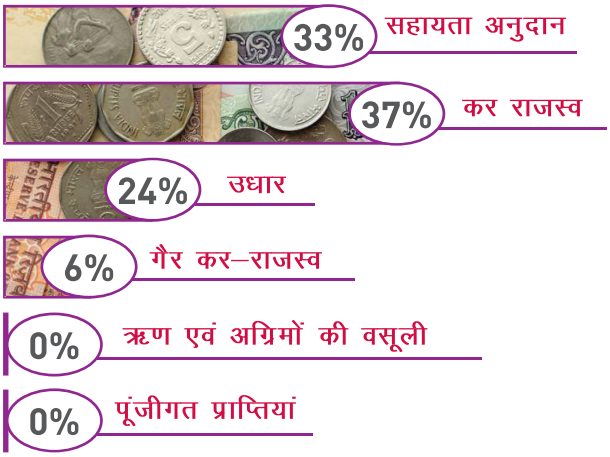
अनुप्रयोग

राजस्व व्यय	44,425
पूंजीगत व्यय	6,029
दिए गए ऋण	111
लोक ऋणों की अदायगी	10,136
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	2,957
आरक्षित तथा निक्षेप निधियां	781
जमा अदायगी	5,764
दिए गए सिविल अग्रिम	...
उचन्त लेखे	41,423**
सम्प्रेषण	8,338
31 मार्च 2023 को अन्तिम रोकड़ शेष	(-)89
योग	1,19,875

* ₹ 39,294 करोंड़ रोकड़ शेष निवेश लेखा भी सम्मिलित है।
** ₹ 40,371 करोंड़ रोकड़ शेष निवेश लेखा भी सम्मिलित है।

1.4.4 ₹ कहाँ से आया

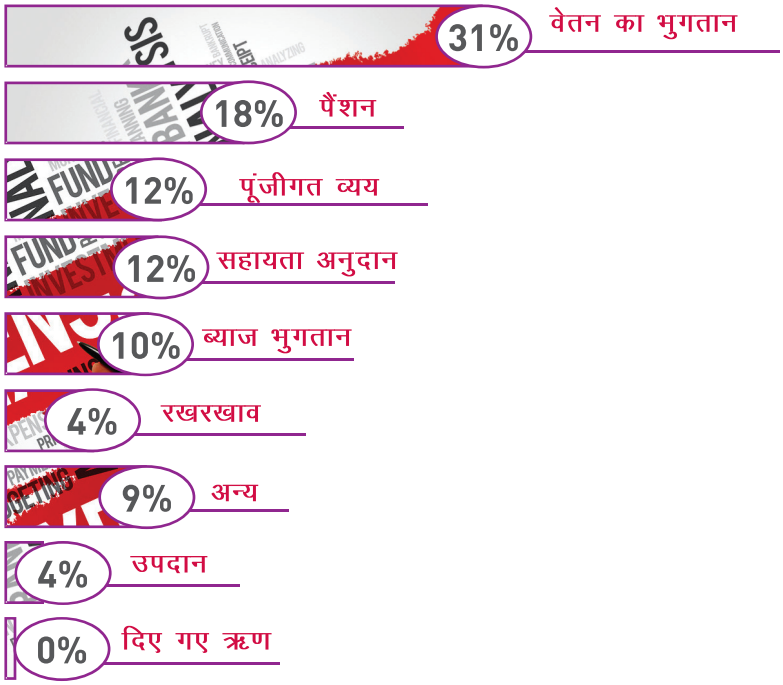
वास्तविक प्राप्तियां



(ऋणों व अग्रिमों की वसूली केवल ₹ 83 करोड़ थी और पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 13 करोड़ थी जो कि नगण्य है अतः मूल्य शून्य दर्शाया गया है)

1.4.5 ₹ कहाँ गया

वास्तविक व्यय



वर्ष 2022-23 में ₹ 6,336 करोड़ का राजस्व घाटा (वर्ष 2021-22 में ₹ 1,115 करोड़ का राजस्व आधिक्य) तथा वर्ष 2022-23 में ₹ 12,380 करोड़ का राजकोषीय-घाटा (वर्ष 2021-22 में ₹ 5,245 करोड़ का राजकोषीय-घाटा) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 3 *प्रतिशत* तथा 6 *प्रतिशत* था। राजकोषीय घाटा समग्र व्यय का 24 *प्रतिशत* रहा।

घाटा तथा आधिक्य क्या इंगित करते हैं ?

घाटा

राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर से सम्बन्धित है। घाटे का स्वरूप, घाटा वित्तपोषित कैसे हो तथा निधियों का अनुप्रयोग वित्तीय-प्रबन्धन में दूरदर्शिता व सूझ-बूझ के महत्वपूर्ण संकेतक है।

राजस्व घाटा/ आधिक्य

राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। सरकार की वर्तमान स्थापना के रखरखाव हेतु राजस्व व्यय की आवश्यकता होती है तथा आदर्श स्वरूप राजस्व प्राप्तियों से ही इसे पूर्णतया वहन किया जाना चाहिए।

राजकोषीय घाटा/ आधिक्य

सकल प्राप्तियों (उधारियों रहित) तथा सकल व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। यह अन्तर इसलिए इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारी द्वारा वित्त-पोषित किया गया और आदर्श स्वरूप इसे पूंजीगत परियोजनाओं में निवेशित किया जाना चाहिए।

1.5 राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ. आर. बी. एम.) अधिनियम, 2005

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005 को लागू किया है। इसी अधिनियम के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट अवधि में राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करना था।

वर्ष 2022-23 के दौरान अधिनियम में राजकोषीय लक्ष्य तथा नियमों की उपलब्धियां निम्नलिखित थीः

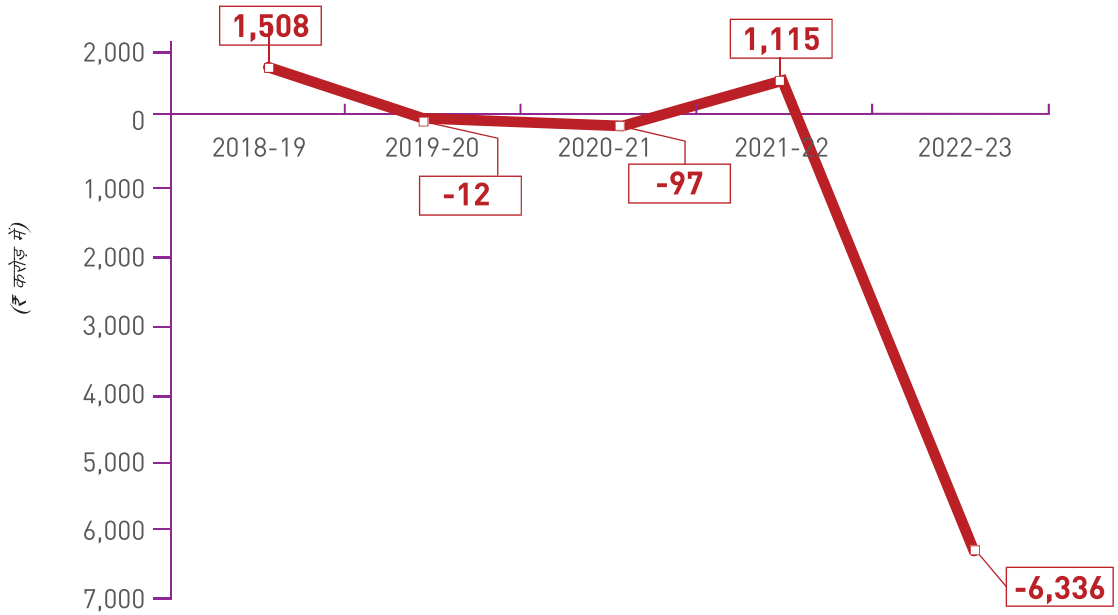
क्रम संख्या	वित्तीय मापदण्ड	वास्तविक (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी का अनुपात*	
			लक्ष्य	उपलब्धि
1	राजस्व घाटा (-)/ राजस्व वृद्वि (+)	(-) 6,336 *3 (प्रतिशत सकल राज्य घरेलु उत्पाद *)*	वर्ष 2011-12 में समाप्त करना	वर्ष के दौरान लक्ष्य को प्राप्त नही किया गया
2	राजकोषीय घाटा	12,380 *6 (प्रतिशत सकल राज्य घरेलु उत्पाद)*	3 *प्रतिशत* या कम	वर्ष के दौरान लक्ष्य को प्राप्त नही किया गया
3	परादेय प्रतिभुतियां	1,781 (पिछले वित्तिय वर्ष की राजस्व प्राप्ति का 5 *प्रतिशत*)	गत वित्तिय वर्ष की राजस्व प्राप्ति के 40 *प्रतिशत* से कम	वर्ष के दौरान लक्ष्य को प्राप्त किया गया

* हिमाचल प्रदेश का जी.एस.डी.पी. (*सकल राज्य घरेलु उत्पाद*) विधान सभा में प्रस्तुत संशोधित अनुमानों के अनुसार 2022-23 के लिए ₹ 1,95,404 करोड़ है।

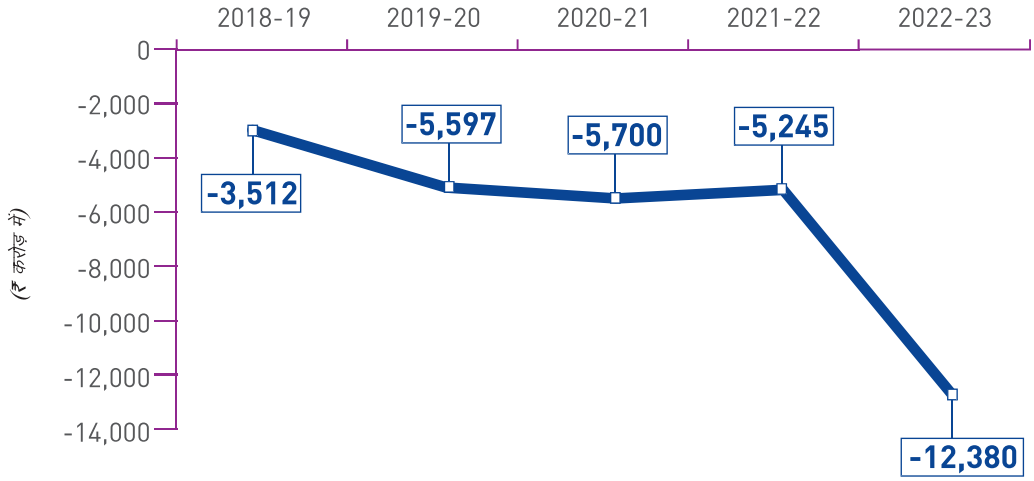
राज्य सरकार के आवश्यक उदघोषित विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जो कि हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत् विवरणो को दर्शाना अनिवार्य था।

वर्ष 2022-23 में राज्य की राजस्व कमी ₹ 6,336 करोड़ थी और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 1,115 करोड़ की राजस्व वृद्धि थी जबकि एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के लक्ष्यों के अनुरूप राजस्व अधिक्य होना चाहिए था। इसी प्रकार, राजकोषीय घाटा 2021-22 में ₹ 5,245 करोड़ से ₹ 7,135 करोड़ बढकर चालू वर्ष 2022-23 में ₹ 12,380 करोड़ हो गया और यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 6 *प्रतिशत* था जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम में निर्धारित 3 *प्रतिशत* के लक्ष्य से अधिक था। यद्यपि, परादेय प्रतिभूतियों की राशि को पिछले वित्तिय वर्ष के कुल राजस्व प्राप्तियों के 40 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होने के लक्ष्य को प्राप्त किया गया। 31 मार्च 2023 को परादेय प्रतिभूतियों की राशि ₹ 1,781 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष 2021-22 की कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 37,309 करोड़) के 5 *प्रतिशत* के बराबर थी।

1.5.1 राजस्व घाटा / आधिक्य के रूझान



1.5.2 राजकोषीय घाटे का रूझान



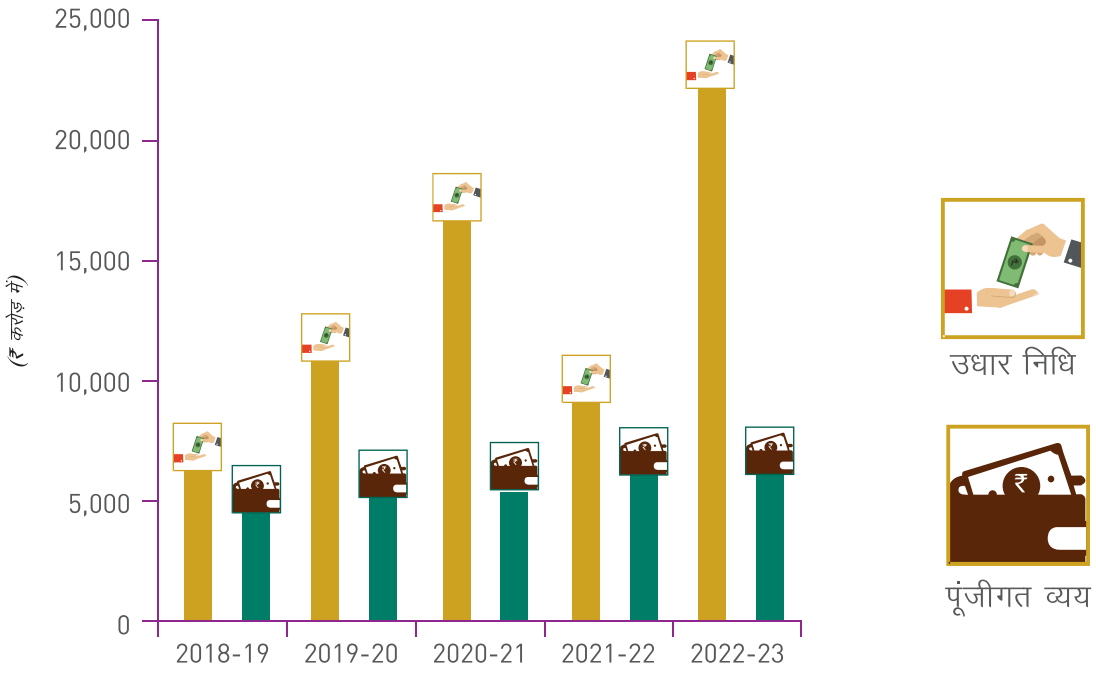
1.5.3 पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधि का अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उधार निधि	पूंजीगत व्यय
2018-19	6,427	4,583
2019-20	10,847	5,174
2020-21	16,749*	5,309
2021-22	9,335**	6,029
2022-23	22,372	6,029

* इस ऋण में ₹ 1,717 करोड़ शामिल है, जिसे जी.एस.टी. मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार के पत्र संख्या एफ. 40(1)पी.एफ-एस./2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 द्वारा वापसी आधार पर ऋण के रूप में पारित किया गया था।

** इस ऋण में ₹ 2,695 करोड़ शामिल है, जिसे जी.एस.टी. मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार के पत्र संख्या एफ. 40(1)पी.एफ-एस./2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 द्वारा वापसी आधार पर ऋण के रूप में पारित किया गया था।



सामान्यतः सरकार राजकोषीय घाटे पर चलती है तथा आर्थिक व सामाजिक ढ़ांचे के निर्माण के लिए तथा पूंजीगत/परिसम्पतियों के निर्माण के लिए ऋण लेती है, अतएव ऋणों द्वारा निर्मित परिसम्पतियाँ अपने लिए स्वयं आय उत्पन्न कर सके । इस प्रकार, पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु ऋणों के पूर्णतया उपयोग तथा मूलधन एवं ब्याज की वापिसी हेतु राजस्व-प्राप्तियों के इस्तेमाल आपेक्षित है। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा केवल पूंजीगत व्यय पर (₹ 6,029 करोड़) का खर्च किया गया है जो चालू वर्ष का गृहित-निधि (₹ 22,372 करोड़) का केवल 27 *प्रतिशत* था।

अतः यह प्रतीत होता है कि लोक ऋण में उद्यार का पिछले वर्षो के लोक ऋण पर मूल राशि तथा ब्याज की अदायगी पर उपयोग किया गया है।

अध्याय II

प्राप्तियां

2.1 भूमिका

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्तियां ₹ 50,565 करोड़ थी।

2.2 राजस्व प्राप्तियां

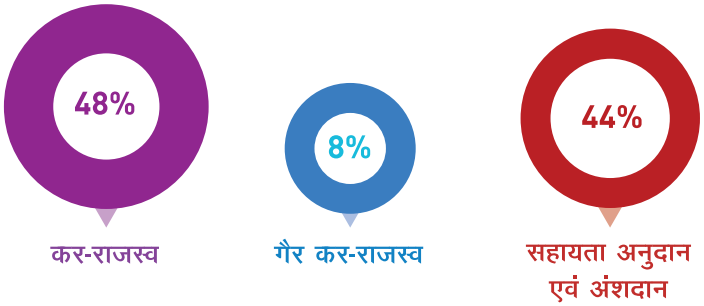
सरकार की राजस्व प्राप्तियों के मुख्यतः तीन घटक हैं:- कर राजस्व, गैर कर राजस्व तथा संघ सरकार द्वारा प्रदान सहायता अनुदान।

कर राजस्व — राज्य सरकार द्वारा एकत्रित तथा प्रतिधारित कर तथा संविधान की धारा 280 (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा सम्मिलित होते है।

गैर कर-राजस्व — ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि सम्मिलित होते है।

सहायता अनुदान — सहायता अनुदान, संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई केन्द्रगत-सहायता को अभिव्यक्त करते हैं। इसमें विदेश सरकार से प्राप्त तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से सारणीबद्ध "वैदेशिक सहायता अनुदान" भी शामिल है। बदले में , राज्य-सरकार पंचायती राज संस्थान, स्वायत्त निकायों आदि जैसे संस्थानों को सहायता अनुदान भी देती है।

राजस्व-प्राप्तियां



2.2.1 राजस्व प्राप्तियों के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक आंकडे	राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता
*क. कर-राजस्व**	**18,479**	**48**
माल व सेवाओं पर कर	7,486	19
आय व व्यय पर कर	5,225	14
सम्पत्ति पूंजीगत तथा अन्य लेनदेनों पर कर	407	1
माल व सेवाओं पर कर के अलावा अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर कर	5,361	14
ख. गैर कर-राजस्व	**2,876**	**8**
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ	266	1
सामान्य सेवाएं	289	1
सामाजिक सेवाएं	290	1
आर्थिक सेवाएं	2,031	5
ग. सहायता अनुदान एवं अंशदान	**16,734**	**44**
कुल राजस्व प्राप्तियां	**38,089**	**100**

* इसमें भारत सरकार से प्राप्त राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश सम्मिलित है।

2.2.2 राजस्व प्राप्तियों का रूझान

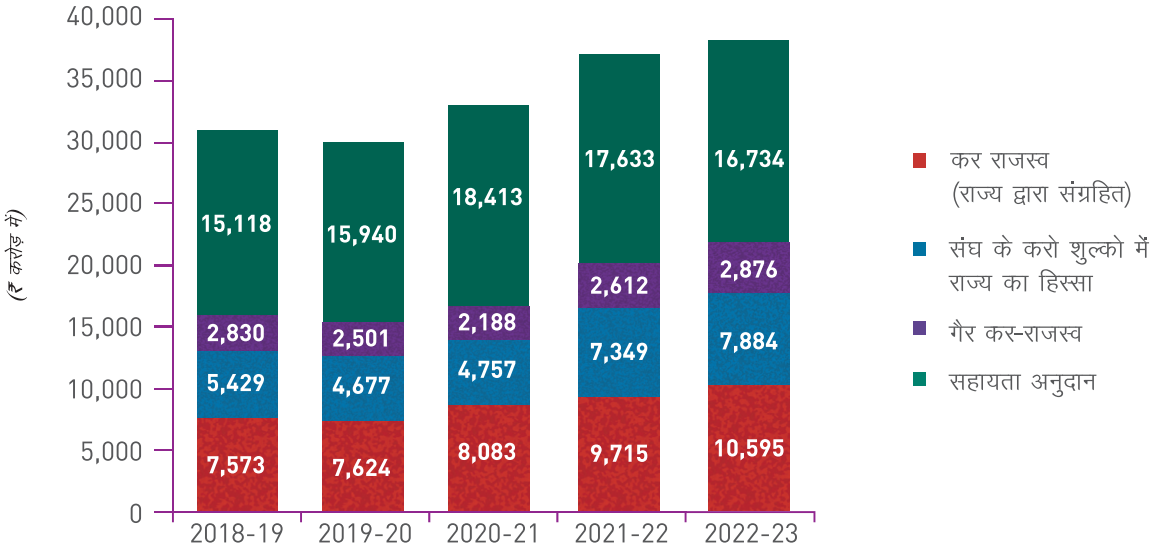
(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कर राजस्व (राज्य द्वारा संग्रहित)	7,573 (5)	7,624 (5)	8,083 (5)	9,715 (6)	10,595 (5)
संघ के करों/ शुल्कों में राज्य का हिस्सा	5,429 (4)	4,677 (3)	4,754 (3)	7,349 (4)	7,884 (4)
गैर कर-राजस्व	2,830 (2)	2,501 (2)	2,188 (1)	2,612 (1)	2,876 (1)
सहायता अनुदान	15,118 (10)	15,940 (10)	18,413 (12)	17,633 (10)	16,734 (9)
कुल राजस्व प्राप्तियां	**30,950 (20)**	**30,742 (19)**	**33,438 (21)**	**37,309 (21)**	**38,089 (19)**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**1,51,835**	**1,65,472**	**1,56,522**	**1,75,173**	**1,95,404**

टिप्पणी : लघु कोष्ठक में दिए गए आंकडे (सकल राज्य घरेलू उत्पाद)की प्रतिशतता को दर्शाते हैं। विधान सभा में प्रस्तुत संशोधित अनुमानों के अनुसार, वर्तमान दरों पर 2022-23 के लिए सकल राज्य घरेलु उत्पाद के आंकड़े।

हालांकि वर्ष 2022-23 में पिछले वर्ष के मुकाबले सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 12 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, राजस्व प्राप्ति में वृद्धि 2 *प्रतिशत* ही थी। राजस्व प्राप्ति में अल्प वृद्धि सहायता अनुदान में कमी के कारण थी। पिछले वर्ष के मुकाबले कर राजस्व 9 *प्रतिशत* तक बढ़ा जबकि गैर कर-राजस्वों में 11 *प्रतिशत* तक की वृद्धि देखी गयी तथा सहायता अनुदान में 5 *प्रतिशत* की कमी देखी गयी।

राजस्व प्राप्तियों का रूझान



2.3 कर राजस्व

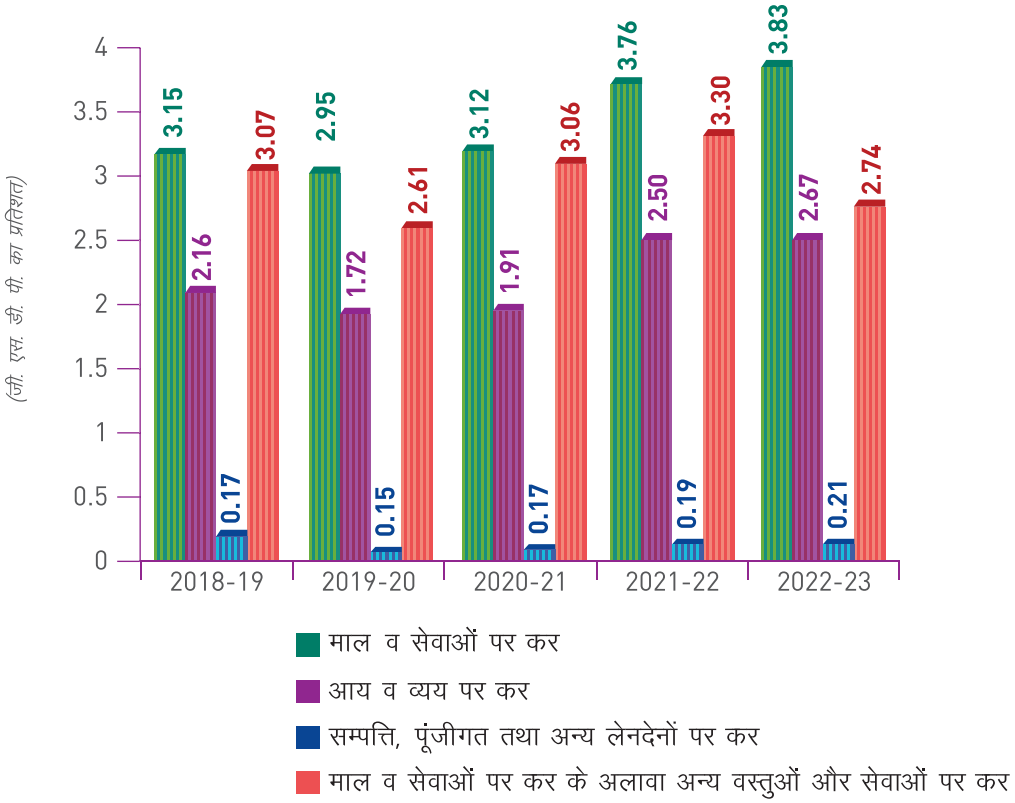
(₹ करोड़ में)

क्षेत्र वार राजस्व प्राप्तियां				
कर	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
क. माल व सेवाओं पर कर	4,878 (3)	4,886 (3)	6,588 (4)	7,486 (4)
ख. आय व व्यय पर कर	2,844 (2)	2,894 (2)	4,372 (2)	5,225 (3)
ग. सम्पत्ति, पूंजीगत तथा अन्य लेनदेनों पर कर	264 ---	260 ---	324 ---	407 ---
घ. माल व सेवाओं पर कर के अलावा अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर कर	4,315 (3)	4,797 (3)	5,780 (3)	5,361 (3)
कुल कर राजस्व	**12,301 (7)**	**12,837 (8)**	**17,064 (10)**	**18,479 (9)**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**1,65,472**	**1,56,522**	**1,75,173**	**1,95,404**

टप्पणी : लघु कोष्ठक में दिए गए आंकडे सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं ।

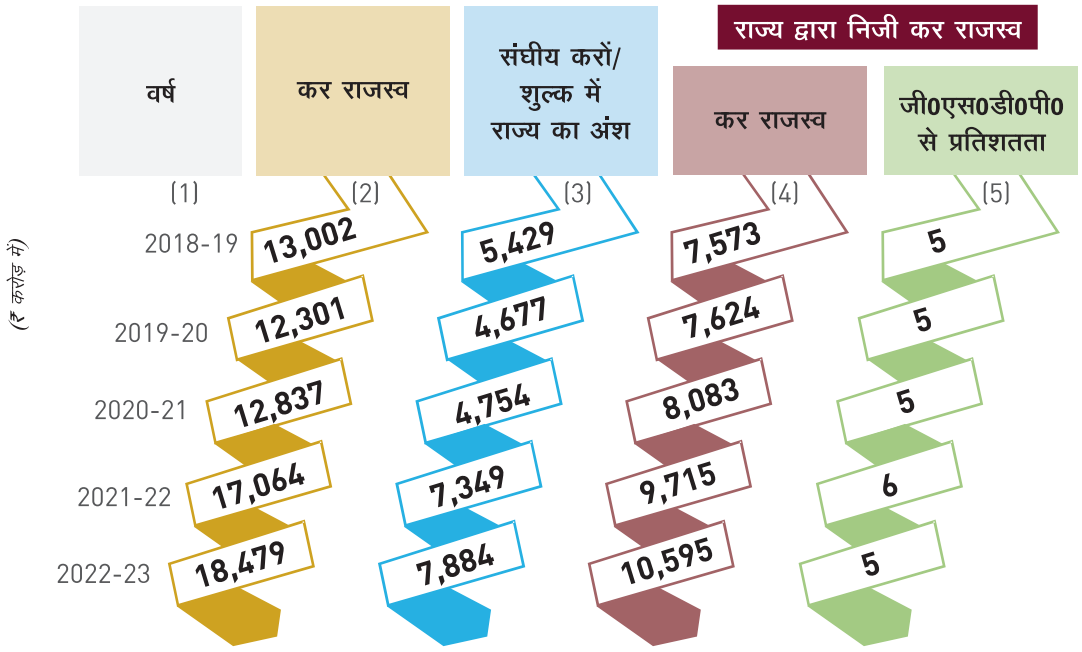
वर्ष 2022-23 के दौरान कुल राजस्व कर में वृद्धि केंद्र सरकार से कर विचलन में वृद्धि में मुख्य रूप से एस.जी.एस.टी. (₹ 777 करोड़) सी.जी.एस.टी. (₹ 122 करोड़) में राज्य हिस्सेदारी की अधिक प्राप्ति, निगम कर (₹ 442 करोड़), निगम कर के अलावा अन्य आय (₹ 410 करोड़), विधुत (₹ 245 करोड़) और सीमा शुल्क (₹ 236 करोड़) है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में मुख्य करों का रूझान



2.3.1 राज्य का निजी कर तथा संघीय करों में राज्य का अंश

राज्य सरकार को कर राजस्व दो स्त्रोतों से आता हैं :- राज्य का निजी कर संग्रहण तथा संघीय करों में राज्य का अंश।



निम्न तालिका में पिछले पांच वर्षों के दौरान कर राजस्व के दो स्त्रोतों की आय को तुलनात्मक दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राज्य का निजी कर संग्रहण	7,573	7,624	8,083	9,715	10,595
संघीय करों में राज्य का अंश	5,429	4,677	4,754	7,349	7,884
कुल कर राजस्व	**13,002**	**12,301**	**12,837**	**17,064**	**18,479**
सकल कर राजस्व में राज्य के निजी कर का *प्रतिशत*	58	62	63	57	57

कुल कर राजस्व में राज्य के अपने कर संग्रहण का अनुपात वर्ष 2018-19 के दौरान 58 *प्रतिशत* था जो 2019-20 में बढ़कर 62 *प्रतिशत* हो गया उसके बाद 2020-21 में बढ़कर 63 *प्रतिशत* तथा 2021-22 व 2022-23 के दौरान घटकर 57 *प्रतिशत* हो गया।

2.3.2 पिछले पाँच वर्ष के दौरान राज्य के निजीकर संग्रहण का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राज्य वस्तुओं एंव सेवाओं पर कर	3,343	3,550	3,467	4,482	5,259
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,185	1,169	1,630	1,592	1,370
राज्य आबकारी शुल्क	1,482	1,660	1,600	1,981	2,216
वाहनों पर कर	408	466	380	510	675
स्टांप और पंजीकरण शुल्क	251	260	253	319	399
विद्युत पर कर एवं शुल्क	487	101	402	394	252
भूमि राजस्व	8	5	7	5	8
माल एवं यात्रियों पर कर	104	104	84	99	69
अन्य कर	305	309	260	333	347
राज्य का कुल निजी कर	**7,573**	**7,624**	**8,083**	**9,715**	**10,595**

2.4 कर वसूली में लागत

(₹ करोड़ में)

कर	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर					
राजस्व वसूली	1,185	1,169	1,630	1,592	1,370
संग्रहण पर व्यय	2	35	20	29	31
कर वसूली में लागत प्रतिशतता	0.17	3	1	2	2
2. राज्य आबकारी शुल्क					
राजस्व वसूली	1,482	1,660	1,600	1,981	2,216
संग्रहण पर व्यय	6	7	8	8	21
कर वसूली में लागत प्रतिशतता	0.40	0.42	0.50	0.42	1
3. वाहन, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर					
राजस्व वसूली	512	570	464	609	744
संग्रहण पर व्यय	53	48	48	63	97
कर वसूली में लागत प्रतिशतता	10	8	10	10	13
4. स्टांप तथा पंजीकरण शुल्क					
राजस्व वसूली	251	260	253	318	399
संग्रहण पर व्यय	9	20	13	5	3
कर वसूली में लागत प्रतिशतता	4	8	5	2	1

अन्य करों के मुकाबले वाहनों पर कर, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर एवं स्टॉप तथा पंजीकरण शुल्क के संग्रहण पर व्यय अधिक था।

2.5 संघीय करों में राज्य के अंश का पिछले पांच वर्षों का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
केन्द्रीय वस्तुओं एंव सेवाओं पर कर (सी.जी.एस.टी.)	1,340	1,327	1,420	2,105	2,227
एकीकृत वस्तुओं एंव सेवाओं पर कर (आई.जी.एस.टी.)**	107	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निगम कर	1,888	1,595	1,429	2,202	2,645
आय तथा व्यय पर अन्य कर **	10	शून्य	शून्य	शून्य	---
निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	1,391	1,250	1,465	2,170	2,580
सम्पत्ति कर **	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सीमा शुल्क	385	296	257	511	310
संघीय आबकारी शुल्क	256	206	161	266	97
सेवा कर	49	शून्य	19	88	12
पदार्थों और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	3	3	3	7	13
संघीय करों/शुल्क में राज्य का अंश	**5,429**	**4,677**	**4,754**	**7,349**	**7,884**
कुल कर राजस्व	**13,002**	**12,301**	**12,837**	**17,064**	**18,479**
संघीय करों से कुल कर राजस्व की प्रतिशतता	42	38	37	43	43

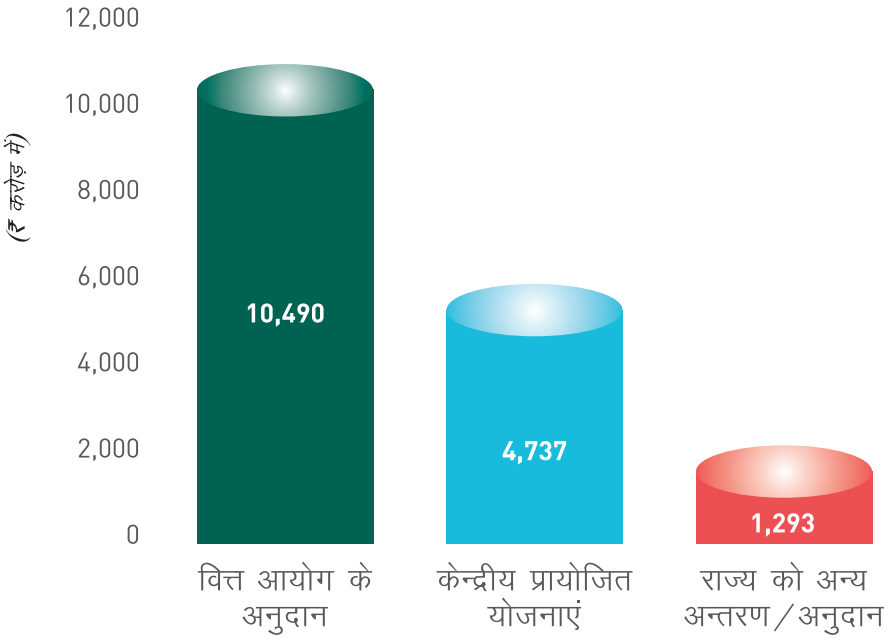
** *प्रतिशतता नगण्य थी अतः -- दर्शाया गया है।*

राज्य सरकार के कुल कर राजस्व में संघ करों का हिस्सा 2018-19 में 42 *प्रतिशत* से घटकर 2020-21 में 37 *प्रतिशत* हो गया था, लेकिन 2022-23 के दौरान बढ़कर 43 *प्रतिशत* हो गया।

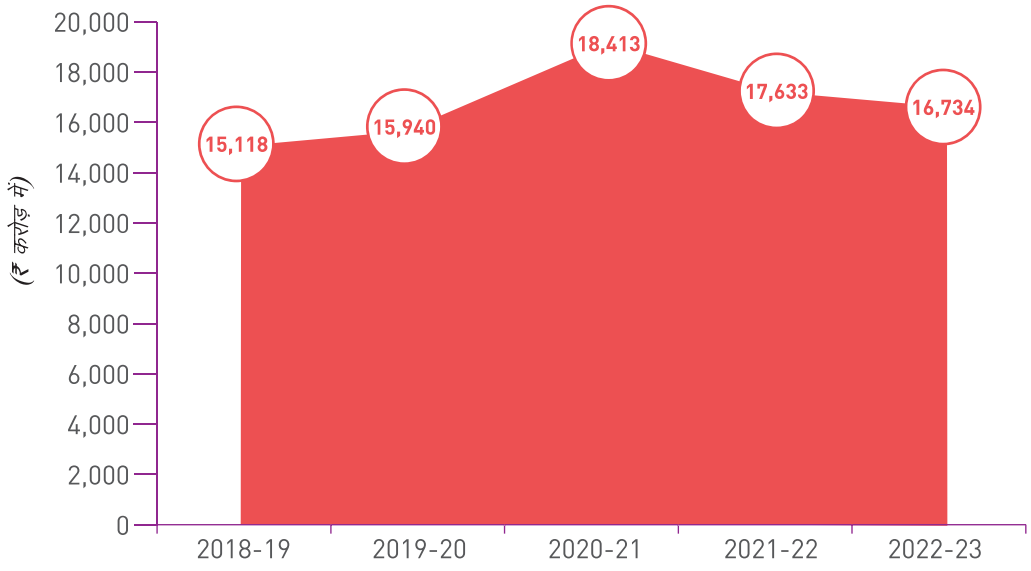
2.6 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि को अभिव्यक्त करते हैं तथा इसमें केन्द्रगत प्रायोजित स्कीमों, वित- आयोग अनुदान तथा राज्य/विधायिका वाले केन्द्रशासित प्रदेश हेतु अन्य अन्तरण/अनुदान है। वर्ष 2022-23 के दौरान इन स्त्रोतों से प्राप्त सहायता-अनुदान निम्न दर्शाया गया है :-

सहायता अनुदान



सहायता अनुदान का रूझान



2022-23 के दौरान सहायता अनुदान में कमी मुख्य रूप से 'केन्द्रीय सहायता/भाग ₹ 2,956 करोड़ (2021-22 में ₹ 3,658 करोड़)'', 'केन्द्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि से अनुदान ₹ 169 करोड़ (2021-22 में ₹ 188 करोड़)'', और 'पश्च हस्तान्तरण राजस्व घाटा अनुदान' ₹ 9,377 करोड़ (2021-22 में ₹ 10,249 करोड़) के कारण थी।

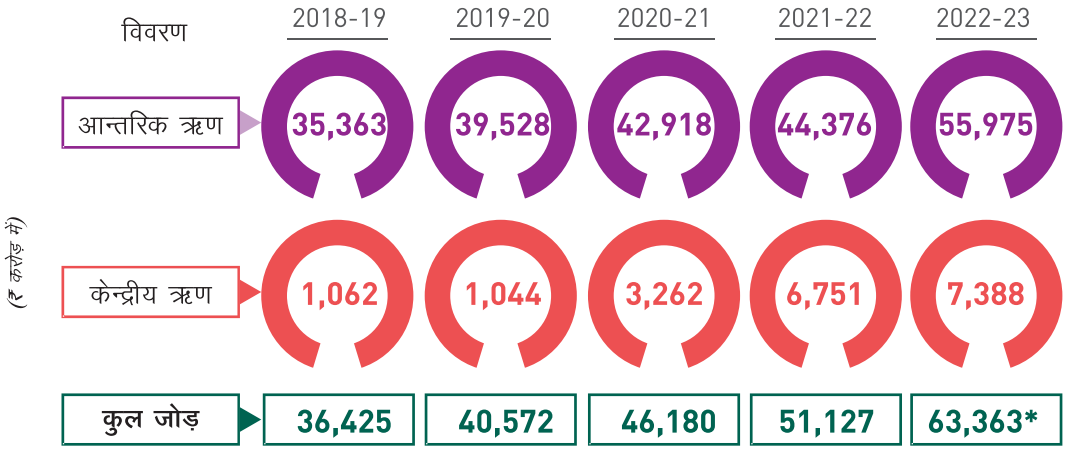
2.7 वस्तुओं एंव सेवा कर (जी.एस.टी.)

वस्तुओं एंव सेवा कर (जी.एस.टी.) 1 जुलाई 2017 से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। जी.एस.टी.(राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 के अनुसार, केंद्र सरकार पांच साल की अवधि के लिए जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजा देगी।

2022-23 के दौरान राज्य सरकार को मुख्य शीर्ष 0006 राज्य वस्तु एवं सेवा कर के तहत राजस्व के रूप में ₹ 5,259 करोड़ (आई.जी.एस.टी. के अग्रिम विभाजन के कारण ₹ 221 करोड़ सहित) प्राप्त हुए। इसके अलवा, राज्य को केंद्रीय जी.एस.टी. के तहत राज्य को सौंपी गई शुद्ध आय के हिस्से के रूप में ₹ 2,227 करोड़ प्राप्त हुए। जी.एस.टी. के तहत कुल प्राप्तियां ₹ 7,486 करोड़ थी। राज्य को 2022-23 के दौरान जी.एस.टी. के कार्यान्यवन से उत्पत्र राजस्व हानि के कारण ₹ 1,293 करोड़ का मुआवजा मिला।

2.8 लोक ऋण

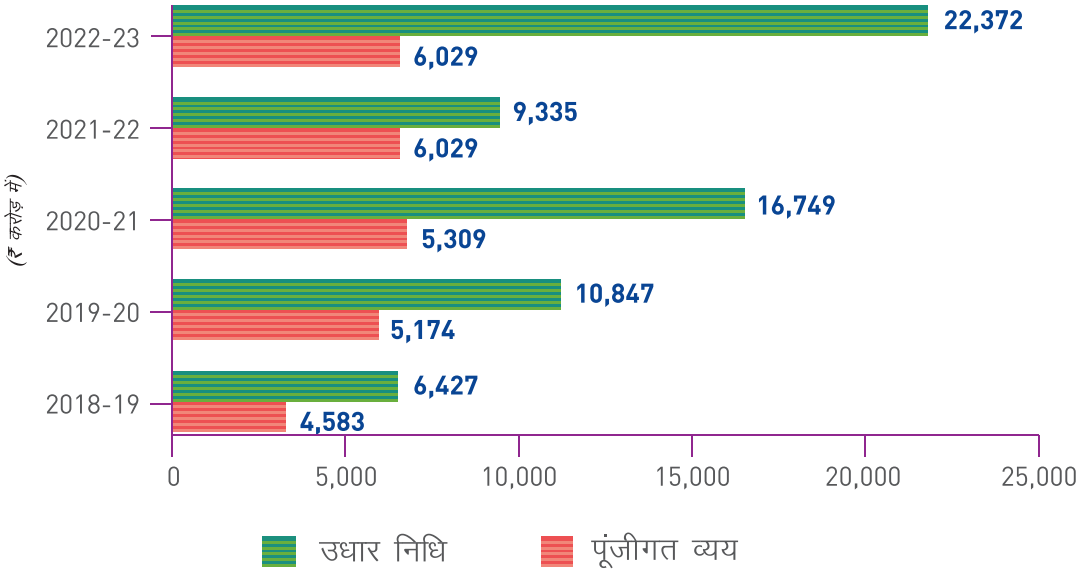
पिछले पांच वर्षों में लोक ऋण का रूझान:-



** इस ऋण में ₹ 4,412 करोड़ शामिल है, जिसे जी.एस.टी. मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार के पत्र संख्या एफ.40(1)पी.एफ-एस./2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 द्वारा वापसी आधार पर ऋण के रूप में पारित किया गया था।*

वर्ष 2022-23 में, ₹ 14,000 करोड़ के 22 ऋण 7 *प्रतिशत* से 8 *प्रतिशत* की ब्याज की दर से खुला-बाजार से लिए गए थे जो वर्ष 2028-2038 के बीच में प्रतिदेय है । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों से ₹ 845 करोड़ ऋण लिए। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक से ₹ 6,787 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राप्ट लिया गया। इस प्रकार वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार द्वारा लिया गया कुल आन्तरिक ऋण ₹ 21,632 करोड़ था। सरकार ने ऋणों तथा अग्रिमों के रूप में भारत सरकार से ₹ 740 करोड़ का ऋण भी प्राप्त किया है।

उधार निधि से पूंजीगत व्यय की तुलना



अध्याय III

व्यय

3.1 भूमिका

2022-23 के दौरान राज्य सरकार का कुल व्यय ₹ 50,565 करोड़ था। पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय में ₹ 7,963 करोड़ (19 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय ₹ 44,425 करोड़ था जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 8,230 करोड़ (23 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसी प्रकार, पूंजीगत व्यय जो 2022-23 के दौरान ₹ 6,028.89 करोड़ था उसमें ₹ 0.49 करोड़ (0 प्रतिशत) की कमी देखी गई।

3.2 राजस्व व्यय

विगत पाँच वर्षों में विनियोग लेखे में रखे गए बजट प्राक्कलनों के सम्मुख राजस्व व्यय में कमी को नीचे दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बजट प्राक्कलन	33,568	36,337	36,011	37,034	45,115
वास्तविक आंकड़े	29,442	30,730	33,535	36,195	44,425
अन्तर	(-) 4,126	(-)5,607	(-)2,476	(-)839	690
बजट प्राक्कलनों से वास्तविक आंकड़ों की प्रतिातता	(-)12	(-)15	(-)7	(-)2	2

2022-23 के दौरान राजस्व व्यय का लगभग 72 *प्रतिशत* व्यय वेतन व मजदूरी (₹ 15,581 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 4,829 करोड़), पैंशन (₹ 9,284 करोड़) तथा उपदान (₹ 1,973 करोड़), पर किया गया जो कि राज्य सरकार की प्रतिबद्ध देनदारी है।

विगत पाँच वर्षों में प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति इस प्रकार है:-

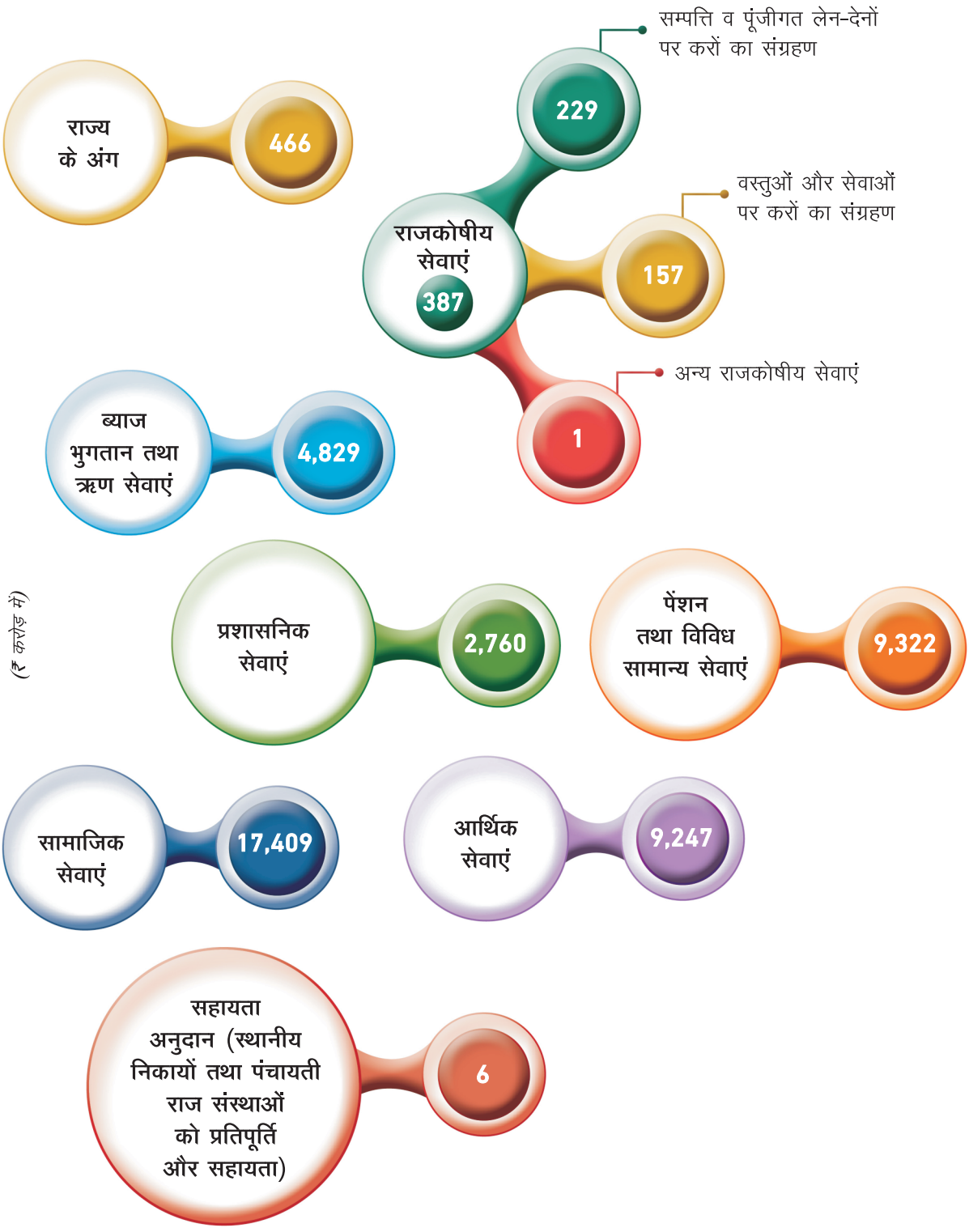
(₹ करोड़ में)

घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल राजस्व व्यय	29,442	30,730	33,535	36,195	44,425
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय #	21,490	22,534	23,705	24,419	31,937
कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का प्रतिशत	*73*	*73*	*71*	*67*	*72*
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	7,952	8,196	9,830	11,776	12,488

प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन व मजदूरी, ब्याज भुगतान, पैंशन तथा उपदान सम्मिलित हैं।

यह देखा गया है कि विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध अप्रतिवद्ध राजस्व व्यय 2018-19 में ₹ 7,952 करोड़ से 57 *प्रतिशत* बढकर 2022-23 में ₹ 12,489 करोड़ हो गया है। कुल राजस्व व्यय 2018-19 में ₹ 29,442 करोड़ से 51 *प्रतिशत* बढकर 2022-23 में ₹ 44,425 करोड़ हो गया तथा उसी अवधि के दौरान प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 49 *प्रतिशत* का आवर्धन हुआ।

3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्र वार विवरण (2022-23)

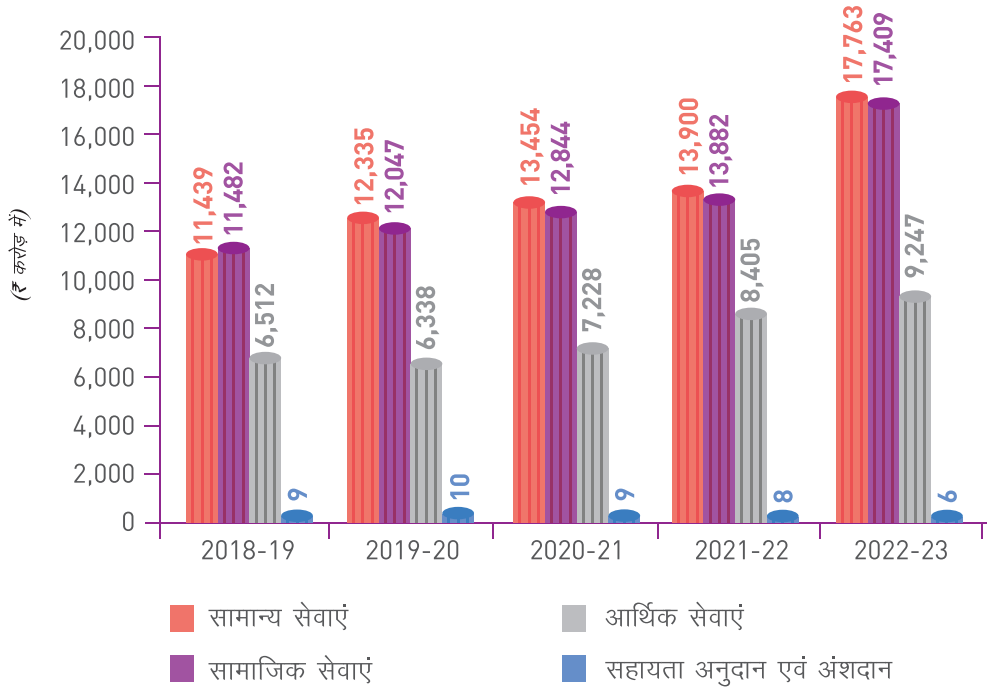


3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक 2018-19 से 2022-23

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सामान्य सेवाएं	11,439	12,335	13,454	13,900	17,763
सामाजिक सेवाएं	11,482	12,047	12,844	13,882	17,409
आर्थिक सेवाएं	6,512	6,338	7,228	8,405	9,247
सहायता अनुदान एवं अंशदान	9	10	9	8	6

राजस्व व्यय के मुख्य घटको का रूझान



3.3 पूंजीगत व्यय

विकास की प्रकिया को बनाए रखने के लिए पूंजीगत व्यय महत्वपूर्ण है। वर्ष 2022-23 में ₹ 6,029 करोड़ के पूंजीगत संवितरण (जी.एस.डी.पी. के 3 प्रतिशत) बजट प्राक्कलनों से ₹ 282 करोड़ से कम थे। नीचे सारणी से यह प्रतीत होता है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	बजट प्राक्कलन	4,240	5,943	5,692	7,099	6,311
2	वास्तविक व्यय (#)	4,583	5,174	5,309	6,029	6,029
3	बजट प्राक्कलनों से वास्तविक व्यय की प्रतिशतता	108	87	93	85	96
4	पूंजीगत व्यय में वार्षिक बढौतरी की प्रतिशतता	22	13	3	14	...
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,51,835	1,65,472	1,56,522	1,75,173	1,95,404
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक बढौतरी/कमी की प्रतिशतता	(+)12	(+) 9	(-)5	(+)12	(+)12

(#) पूंजीगत परिव्यय में ऋणों तथा अग्रिमों का व्यय सम्मिलित नहीं है।

3.3.1 पूंजीगत व्यय का क्षेत्र-वार विवरण

2022-23 के दौरान, सरकार द्वारा विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर ₹ 226 करोड़ का व्यय किया गया (₹ 17 करोड़ मध्यम सिंचाई तथा लघु सिंचाई पर ₹ 209 करोड़)। उपरोक्त के अलावा, सरकार ने सड़कों तथा पुलों के निर्माण पर ₹ 2,178 करोड़ का खर्च किया तथा सांविधिक निगमों/बोर्डों में ₹ 205 करोड़, सरकारी तथा अन्य कम्पनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 218 करोड़ का निवेश किया। वर्ष के दौरान सहकारी समितियों के द्वारा ₹ 2 करोड़ की शेयर पूंजी का विमोचन किया गया।

3.3.2 विगत पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय का क्षेत्रवार विवरण

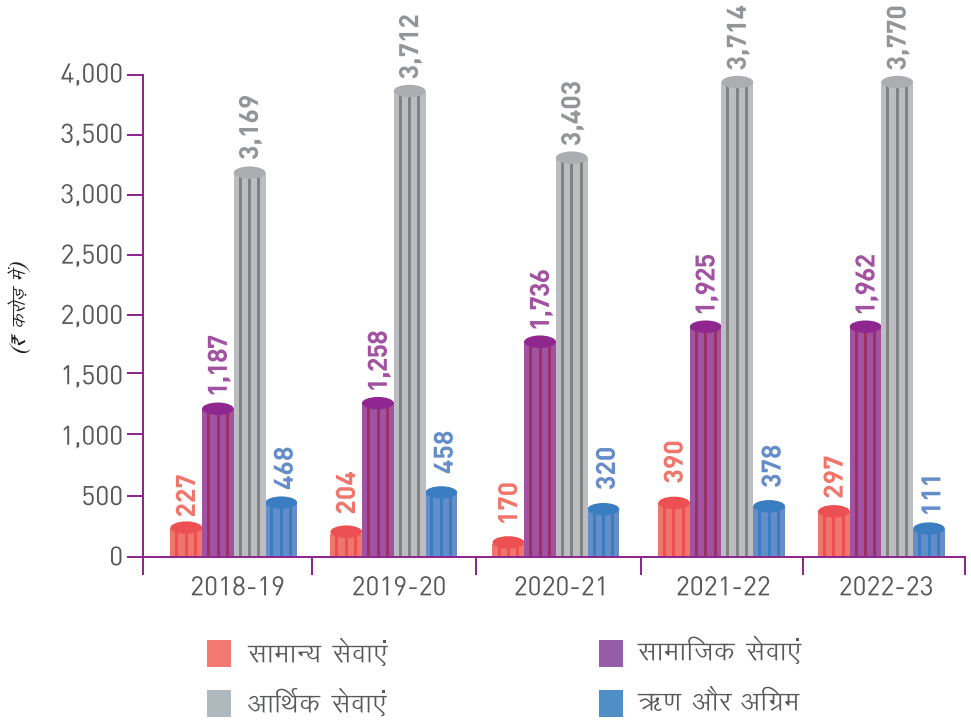
विगत पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रवार विवरण निम्न दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सामान्य सेवाएं	227 (4)	204 (4)	170 (3)	390 (6)	297 (5)
सामाजिक सेवाएं	1,187 (24)	1,258 (22)	1,736 (31)	1,925 (32)	1,962 (33)
आर्थिक सेवाएं	3,169 (63)	3,712 (66)	3,403 (60)	3,714 (62)	3,770 (63)
ऋण और अग्रिम	468 (9)	458 (8)	320 (6)	378 (6)	111 (2)

टिप्पणी : कोष्ठको में आंकडे कुल पूंजीगत व्यय पर *प्रतिशत* का प्रतिनिधित्व दर्शाते हैं।

पूंजीगत व्यय के क्षेत्रवार विवरण का रूझान



3.3.3 पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का क्षेत्रवार विवरण

विगत पांच वर्षों में पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रवार विवरण निम्न दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	खण्ड		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
क.	सामान्य सेवाएं	पूंजीगत	227	204	170	390	297
		राजस्व	11,439	12,335	13,454	13,900	17,763
ख.	सामाजिक सेवाएं	पूंजीगत	1,187	1,258	1,736	1,925	1,962
		राजस्व	11,482	12,047	12,844	13,882	17,409
ग.	आर्थिक सेवाएं	पूंजीगत	3,169	3,712	3,403	3,714	3,769
		राजस्व	6,512	6,338	7,228	8,405	9,247
घ.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	पूंजीगत	*	*	*	*	*
		राजस्व	9	10	9	8	6

* लागू नहीं

अध्याय IV

विनियोग लेखे

4.1 विनियोग लेखों का सारांश 2022-23

वित्तिय वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व, पूंजी, लोक ऋण और ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत बजट आवंटन तथा उसके सम्मुख वास्तविक व्यय की स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन के द्वारा समर्पण	कुल बजट	वास्तविक व्यय (निवल)	बचत (-) आधिक्य (+)
1.	**राजस्व**						
	दत्तमत	*35,091*	*5,189*	*710*	*39,570*	*39,512*	*(-)58*
	प्रभारित	*5,188*	*8*	*324*	*4,872*	*4,913*	*(+)41*
2.	**पूंजीगत**						
	दत्तमत	5,647	*1,467*	934	*6,180*	*6,005*	(-)175
	प्रभारित	---	*24*	---	*24*	*24*	---
3.	**लोक ऋण**						
	प्रभारित	5,342	6,007	---	11,349	10,136	(-)1,213
4.	**ऋण एवं अग्रिम**						
	दत्तमत	97	1	3	95	110	(+)15
	प्रभारित	---	...	...	...	...	...
	योग (दत्तमत)	***40,835***	***6,657***	***1,647***	***45,845***	***45,627***	***(-)218***
	प्रभारित	***10,530***	***6,039***	***324***	***16,245***	***15,073***	***(-)1,172***

4.2 विगत पांच वर्षों में बचत/आधिक्य का रुझान

निम्न तालिका पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व, पूंजी, लोक ऋण और ऋण एवं अग्रिम में बचत/आधिक्य की प्रवृति को प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

बचत (-)आधिक्य (+)					
वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	कुल
2018-19	(+)252	(+)4	(+)51	(+)58	**(+)365**
2019-20	(-)703	(-)39	--	(+)45	**(-)697**
2020-21	(-)2,528	(-)386	(-)256	(-)41	**(-)3,210**
2021-22	(-)7	(-)159	--	(+)64	**(-)102**
2022-23	(-) 17	(-)175	(-)1,213	(+)15	**(-)1,390**

4.3 महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान के अधीन पर्याप्त बचत, स्कीमों/कार्यक्रमों के अक्रियान्वयन या धीमे क्रियान्वयन को दर्शाती है। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान बचत की समग्र अनुदान-वार स्थिति इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नामावली	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	विधान सभा	3	1	6	4	1
2	राज्यपाल/मंत्री परिषद	3	5	4	2	1
3	न्याय प्रशासन	33	54	55	29	48
4	सामान्य प्रशासन	21	78	45	32	3
5	भू-राजस्व और जिला प्रशासन	--	659	116	-	275
6	आबकारी एवं कराधान	14	14	2	12	13
7	पुलिस और सम्बन्ध संगठन	147	233	336	245	24
8	शिक्षा	981	1,141	1,362	1,096	122
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	340	403	498	244	208
10	लोक निर्माण कार्य-सड़के, पुल तथा भवन	283	1,018	906	1,240	616
11	कृषि	75	42	89	49	57
12	उद्यान	19	80	18	13	1
13	सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता	152	180	162	154	76
14	पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य	74	75	80	36	1
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	32	138	240	71	188
16	वन और वन्य जीवन	131	152	174	136	91
17	निर्वाचन	---	11	6	---	---
18	उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	119	120	49	19	---
19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	32	114	70	50	127
20	ग्रामीण विकास	390	357	163	134	120
21	सहकारिता	4	4	3	2	---
22	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	--	5	30	4	---
23	विद्युत विकास	185	286	7	---	4
24	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	---	2	3	2	---
25	सड़क एवं जल परिवहन	2	31	6	6	---
26	पर्यटन एवं नागर विमानन	---	85	947	545	498
27	श्रम, रोजगार एवं प्रक्षिण	40	40	123	26	20
28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	119	93	101	105	66
29	वित्त	1,185	1,535	1,925	2,037	1,496
30	विभिन्न सामान्य सेवाएं	13	18	10	6	---
31	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	408	466	491	534	360
32	अनुसूचित जाति उपयोजना	545	745	414	532	516

वित्त, लोक निर्माण कार्य-सड़के, पुल तथा भवन, पर्यटन एवं नागर विमानन, अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, से संबधित अनुदान के अधीन निरन्तर और व्यापक बचत हुई थी। इससे संकेत मिलता है कि इन अनुदानों के अधीन विद्यायिका द्वारा अनुमोदित कुछ स्कीमों को क्रियान्वयन के दौरान कम-प्राथमिकता दिया जाना है। यह बजट-प्राकलन में अनुमान से अधिक या अपने राजकोषीय घाटे को सीमा के अन्दर रखने हेतु सरकार की इच्छा के परिपेक्ष में हो सकता है।

2022-23 के दौरान, अनुपूरक अनुदान की कुल राशि ₹ 13,141 करोड़ (₹ 63,463 करोड़ कुल व्यय का 21 प्रतिशत) कुछ मामलों में अपर्याप्त सिद्ध हुई । निम्नलिखित प्रकरणों में अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ :-

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
25	5002- भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय- 03-पूंजीगत परिव्यय- 115-नई लाईनें- 01-रेलवे लाईनों का निर्माण-	पूंजीगत	18	129	212
05	2245-प्राकृतिक विपत्ति के लिए राहत- 80-सामान्य- 103-राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से राज्यो को सहायता- 01-राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से व्यय-	राजस्व	0	200	214
08	2202- सामान्य शिक्षा- 02-माध्यमिक शिक्षा- 109-राजकीय माध्यमिक स्कूल- 15- श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना-	राजस्व	16	32	65
05	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- 80-सामान्य- 051- निर्माण- 05-संयुक्त कार्यालय भवन एवं मिनी सचिवालय-	पूंजीगत	7	42	58

4.4 बजट प्रावधान के साथ पुनर्विनियोजन

31 मार्च 2023 को तीन अनुदानों, अनुदान संख्या 07,09,29,31 और 32 में पुनर्विनियोजन के माध्यम से ₹ 39 करोड़. का बजट प्रावधान किया गया था। निधियों को वास्तविक/पूरक बजट अनुमानों के माध्यम से प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। बिना प्रावधानों के पुनर्विनियोजन अनुचित और हिमाचल प्रदेश के बजट नियमावली के पैरा 12.50 में शामिल प्रावधानों का उल्लंघन था।

मामलों को निम्न तालिका में दिखाया गया है:

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय
29	2049- ब्याज भुगतान- 01-आन्तरिक कर्जों पर ब्याज- 101-आन्तरिक कर्जों पर ब्याज- I8-7.76 *प्रतिशत* हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2030-	राजस्व	0	0	23	23
29	2049- ब्याज भुगतान- 01-आन्तरिक कर्जों पर ब्याज- 101-आन्तरिक कर्जों पर ब्याज- I9-7.82 *प्रतिशत* हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2032-	राजस्व	0	0	16	16
31	4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय- 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान- 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- 11-सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन-	पूंजीगत	0	0	0.11	0.11
32	4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय- 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 09-सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन-	पूंजीगत	0	0	0.18	0.18

कुछ उदाहरण जहां संपूर्ण बजट प्रावधान या तो वापस कर दिए गए थे या फिर से पुनविनियोजित किए गए थे निम्नलिखित तालिका में दिखाए गए हैः

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय
5	2245-प्राकृतिक विपत्ति के लिए राहत- 80-सामान्य- 102-प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन, आपदा सभांवित क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाएं 01-प्राकृतिक आपदा पर व्यय, आपदा सभांवित क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाएं	राजस्व	95	0	95	0
8	2202- सामान्य शिक्षा- 80-सामान्य- 107-छात्रवृतियां- 22 -स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना-	राजस्व	3	0	3	0
10	3054- सड़कें एवं पुल- 04-जिला एवं अन्य सड़कें- 105-अनुरक्षण एवं मरम्मत 29-स्वर्ण जंयती ग्राम सड़क रखरखाव-	राजस्व	10	0	10	0
11	2401- फसल कृषि कर्म- 102-खाद्यान फसल- 01-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-	राजस्व	18	0	18	0
31	5053-नागरिक विमानन पर पूंजीगत परिव्यय- 80-सामान्य- 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- 03- हवाई अड्डे/हेलीपोर्टों का विकास-	पूंजीगत	81	0	81	0
32	5053-नागरिक विमानन पर पूंजीगत परिव्यय- 02-विमानपत्तन- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 02- हवाई अड्डे/हेलीपोर्टों का विकास-	पूंजीगत	279	0	279	0

अध्याय V

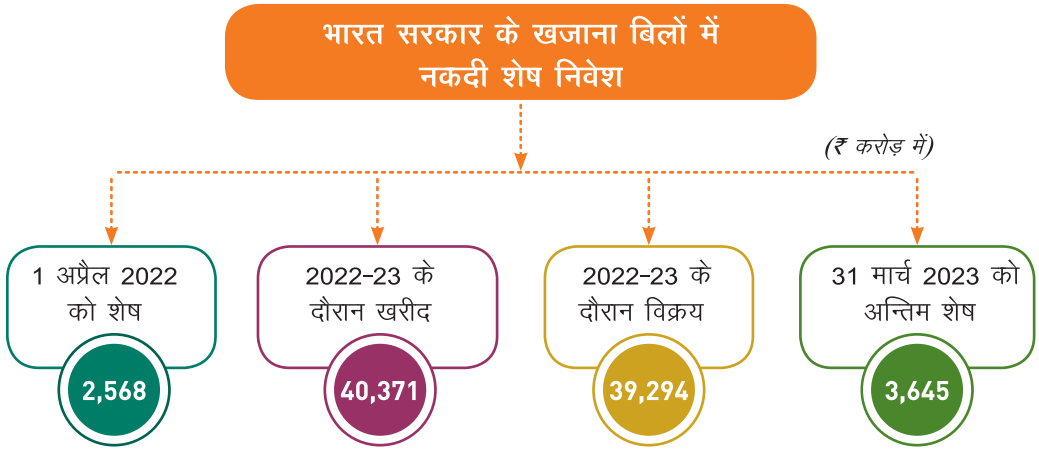
परिसम्पतियां तथा दायित्व

5.1 परिसम्पतियां

लेखाओं का वर्तमान स्वरूप जमीन, भवन आदि जैसी सरकारी परिसम्पत्तियों के मूल्याकंन को, अधिग्रहण खरीद के वर्ष के सिवाय, इतनी सुगमता से नहीं दर्शाता। इसी प्रकार जैसा कि लेखे चालू-वर्ष के प्रतिवद्धता के प्रभाव को प्रदर्शित करते है, पर वे भावी पीढी पर दायित्वों के समग्र प्रभाव को चित्रित नहीं करते।

गैर वित्तिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) में शेयर पूंजी के रूप में कुल निवेश वर्ष 2022-23 के अन्त में ₹ 3,519 करोड़ था। जबकि वर्ष के दौरान कुल निवेश पर लाभाँश ₹ 181 करोड़ (3 प्रतिशत) प्राप्त हुआ। वर्ष 2022-23 के अन्त तक निवेश में ₹ 421 करोड़ की वृद्धि हुई और लाभाँश आय में ₹ 14 करोड़ की वृद्धि हुई।

भारतीय रिजर्व बैंक का नकदी शेष 01 अप्रैल 2022 को ₹ 45 करोड़ (जमा) था, जो मार्च 2023 के अन्त तक घटकर ₹ 89 करोड़ (जमा) हुआ। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 में सरकार ने 105 तात्कालिक अवसरो पर ₹ 40,371 करोड़ की राशि को 14 दिनों के खजाना बिलों में निवेश किया था तथा ₹ 39,294 करोड़ 180 अवसरों पर 14 दिनों के खजाना बिलों पर पुनः बट्टा चुकाया। वर्ष 2022-23 के दौरान निवेश की स्थिति को दर्शाया गया है।



5.2 ऋण तथा देनदारियाँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत राज्य सरकार को समेकित निधि की प्रतिभूति पर उधारी का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत सरकार समय-समय पर यह निर्धारित करती है, कि राज्य सरकार बाजार से किस सीमा तक उधारी कर सकती है। वर्ष 2022-23 के लिए सीमा ₹ 14,251 करोड़ थी। इसके सम्मुख, हिमाचल प्रदेश सरकार ने खुले बाजार से ₹ 14,000 करोड़ की उधारी की।

लोक ऋणों तथा राज्य सरकार के समस्त दायित्व का विवरण इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	*सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत*	लोक लेखा*	*सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत*	कुल दायित्व	*सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत*
2018-19	36,425	24	17,874	12	54,299	36
2019-20	40,572	25	21,640	13	62,212	38
2020-21	46,180	28	22,702	15	68,882	43
2021-22	51,127	27	22,407	13	73,535	40
2022-23	63,363**	32**	23,226	12	86,589**	44**

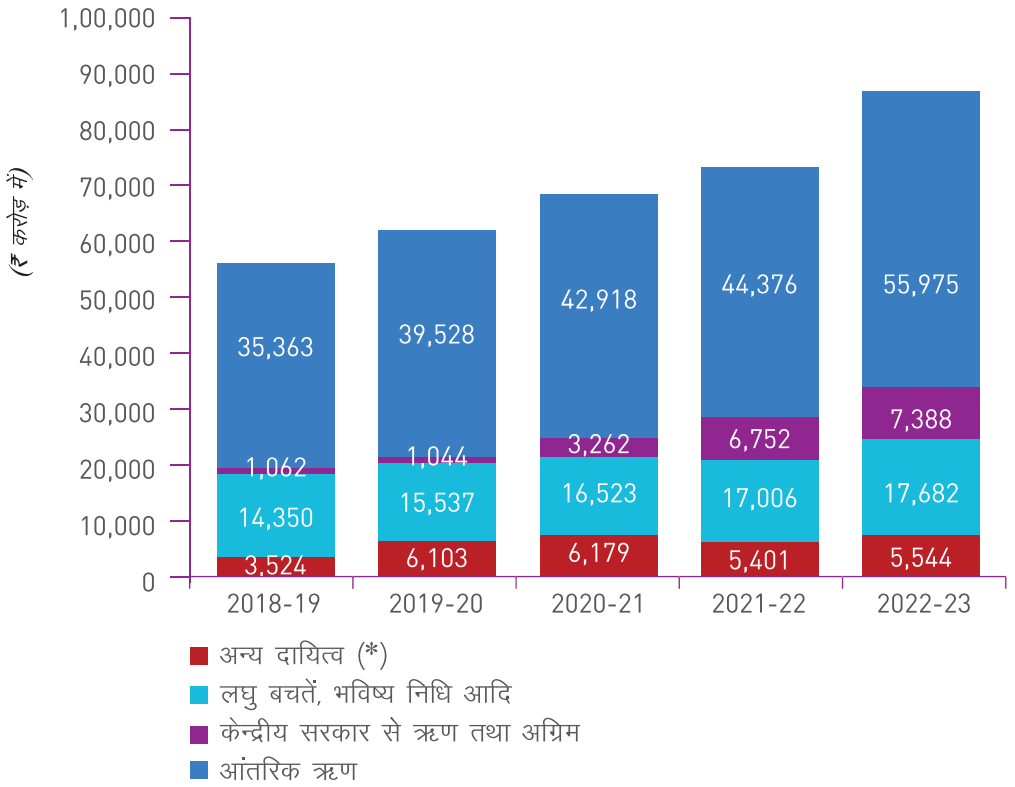
() उचन्त तथा सम्प्रेषण शेष रहित।*

*(**) इस ऋण में ₹ 4,412 करोड़ शामिल है, जिसे जी.एस.टी. मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार द्वारा वापसी आधार पर ऋण के रूप में पारित किया गया था, हालांकि भारत सरकार के पत्र संख्या एफ.40(1)पी.एफ-एस./2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 के अनुसार कुल देनदारियों के लिए सकल राज्य घरेलु उत्पाद के प्रतिशत की गणना करने के लिए ₹ 4,412 करोड़ की इस राशि को नजर अंदाज कर दिया गया है*

टिप्पणी: आंकड़े वर्ष के अन्त के उतरोत्तर शेष है।

लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों के अन्तर्गत पिछले वर्ष से ₹ 13,055 करोड़ (18 *प्रतिशत*) की शुद्ध बढ़ोतरी दर्शायी गयी।

सरकारी दायित्वों का रूझान



() स्थानीय निधियों, अन्य चिन्हित निधियों आदि के जमा जैसी ब्याज तथा ब्याज रहित बाध्यताएं।*

5.3 प्रतिभूतियाँ

प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त, राज्य सरकारें विभिन्न योजनागत स्कीमों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार तथा वित्तीय संस्थान से सरकारी कम्पनियों तथा निगम द्वारा लिए गए ऋणों की भी प्रतिभूति देती है। इन प्रतिभूतियों को राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। 2018-19 से 2022-23 में वैद्यानिक निगम, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा उठाए गए ऋणों (मूल-राशि तथा उस पर ब्याज की अदायगी) की वापसी हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की स्थिति नीचे दी गई है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अन्त में	प्रत्याभूति की अधिकतम राशि (मूलधन केवल)	वर्ष के अन्त में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2018-19	5,181	4,309*	#
2019-20	640	1,947*	#
2020-21	2,299	2,142*	#
2021-22	2,035	1,885*	#
2022-23	3,158	1,781*	#

** मूलधन एवं ब्याज सम्मिलित है।*

नोटः विस्तृत विवरण, वित्त लेखे की विवरणी संख्या 20 में उपलब्ध है तथा यह राज्य सरकार, वित्त विभाग से प्राप्त सूचना पर आहरित है

सरकार ने मूलधन व ब्याज की जानकारी अलग से नहीं दी

अध्याय VI

अन्य मदें

6.1 आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष

राज्य सरकारों की उधारियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत अधिशासित होती है। प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त राज्य सरकारें विभिन्न योजनागत स्कीमों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार तथा वित्तीय संस्थानों से सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा लिए गए ऋणों की प्रतिभूति भी देती हैं जिसे राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। इन ऋणों को सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों की प्राप्तियों के रूप में लिया जाता है तथा सरकार की किताबों में ये प्रकट नहीं होते और इन्हें आंफ-बजट उधार के रूप में जाना जाता है। हालांकि ऋणों की वापसियों को सरकारी-लेखे में लिया जाता है जिसके परिणामतः सरकारी लेखाओं में असंगत प्रतिकूल शेष तथा दायित्वों की न्यून-तालिका प्रदर्शित होती रही है। 31 मार्च 2023 को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के पक्ष में कोई प्रतिकूल शेष नहीं थे।

6.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम

2022-23 के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा कुल ₹ 8,053 करोड़ के ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए गए। इसमें से सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थानों तथा स्वायत्त-निकायों को ₹ 8,026 करोड़ की राशि के ऋण तथा अग्रिम दिए गए। 31 मार्च 2023 के अन्त में ₹ 97 करोड़ मूलधन की वसूली लम्बित थी। राज्य सरकार द्वारा ब्याज की राशि की वसूली से सम्बन्धित जानकारी प्रदान नही की गई थी। 2022-23 के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली की प्राप्ति केवल ₹ 83 करोड़ ही हो पाई, जिसमें से ₹ 6 करोड़ की राशि सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋणों की वापसी से सम्बन्धित है। बकाया ऋणों की वसूली हेतु उठाए जाने वाले प्रभावी कदम सरकार की राजकोषीय स्थिति को सुधारने में सहायता करेंगे।

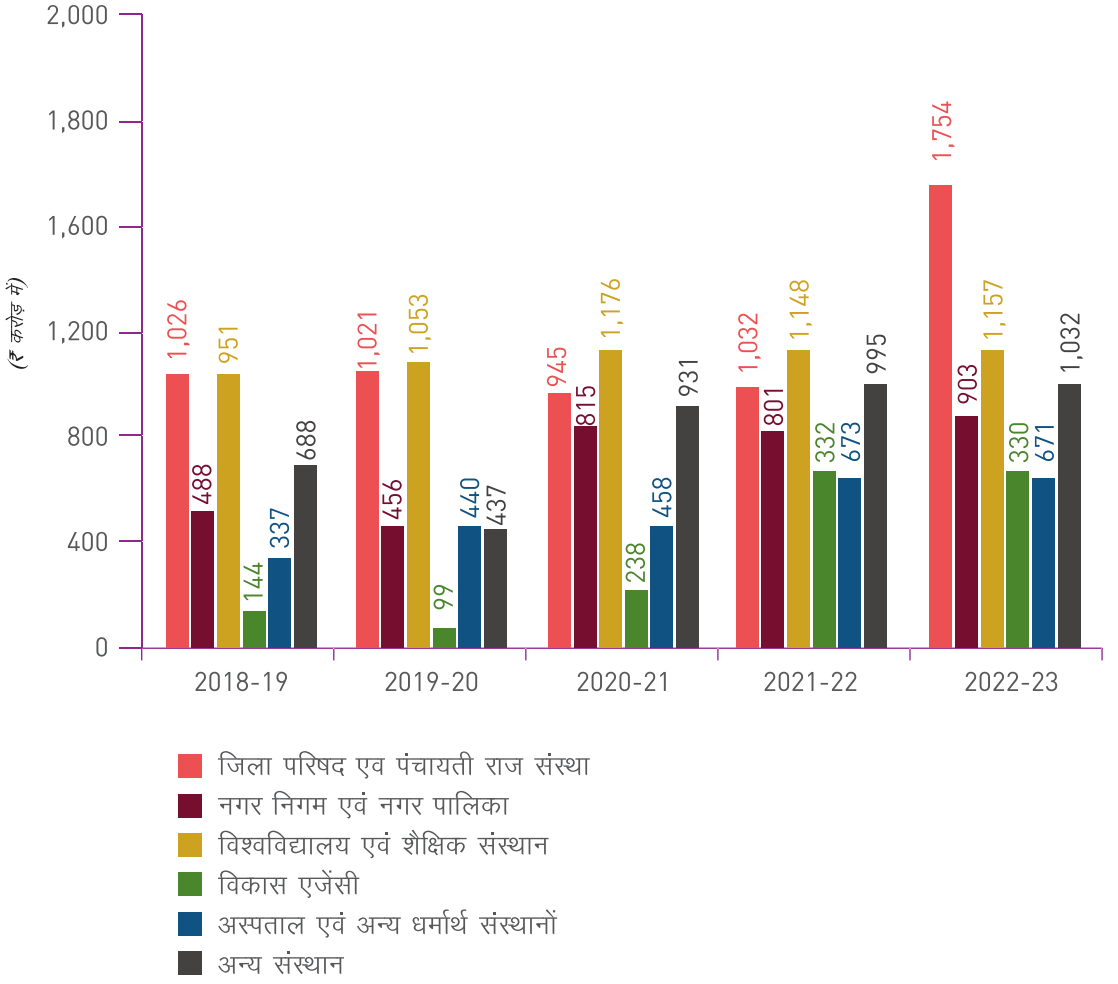
6.3 स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों, स्वायत्त-निकायों आदि को दिए गए सहायता-अनुदानों में वर्ष 2018-19 में ₹ 3,634 करोड़ से बढकर 2022-23 में ₹ 5,847 करोड़ हो गया। जिला परिषदों, पंचायती राज संस्थानों तथा नगर-निगम व नगरपालिकाओं को दिए गए अनुदान (₹ 2,656 करोड़) वर्ष के दौरान दिए गए सकल अनुदानों का 45 *प्रतिशत* है।

बिगत पांच वर्षों के सहायता-अनुदानों का विवरण इस प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	संस्थानों के नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	जिला परिषद एव पंचायती राज संस्थान	1,026	1,021	945	1,032	1,754
2	नगर निगम एवं नगर पालिका	488	456	815	801	903
3	विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थान	951	1,053	1,176	1,148	1,157
4	विकास एजेंसी	144	99	238	332	330
5	अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थान	337	440	458	673	671
6	अन्य संस्थान	688	437	931	995	1,032
	जोड़	**3,634**	**3,506**	**4,563**	**4,981**	**5,847**



बिगत पांच वर्षों में पुंजीगत सम्पतियों के सृजन के लिए आंबटित सहायता-अनुदानों का विवरण इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	संस्था का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	जिला परिषद	29	27	66	32	75
2	पचांयत समिति	24	9	66	40	75
3	ग्राम पंचायत	370	501	332	170	393
4	नगर निगम	72	41	220	228	449
5	नगर पालिका	72	67	160	139	98
6	शैक्षिक संस्थान	...	20	1	...	...
7	विकास एजेंसी	41	41	47	29	25
8	संविधिक निगम	12	12	7	...	10
9	सहकारी संस्थान	1	1	1	2	3
10	सामाजिक कल्याण	...	...	25	43	41
11	विश्वविद्यालय	...	...	1	10	11
12	अन्य	213	126	114	140	197
	कुल जोड़	**834**	**845**	**1,040**	**833**	**1,377**

6.4 रोकड शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2022 की स्थिति	31 मार्च 2023 की स्थिति	निवल बढ़ौतरी (+)/कमी (-)
रोकड़ शेष	(-)45	(-)89	(-)44
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के खजाना बिल)	(+)2,568	(+)3,645	(+)1,077
चिन्हित निधि शेष से निवेश	...	...	...
(क) निक्षेप निधि	...	...	...
(ख) प्रत्याभूति विमोचन निधि	...	...	...
(ग) अन्य निधियां	...	...	...
वर्ष के दौरान ब्याज वसूली	55	20	(-)35

राज्य सरकार के पास 31 मार्च 2023 के अन्त में ₹ 89 करोड़ जमा का रोकड़ शेष था। रोकड़ शेष राशि के निवेश पर ब्याज प्राप्ति 62 *प्रतिशत* घटकर 2021-22 में ₹ 55 करोड़ से 2022-23 में ₹ 21 करोड़ हो गई।

6.5 लेखों का मिलान

सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय के आंकड़ों का प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.) हिमाचल प्रदेश द्वारा लेखा बद्ध आंकड़ों के साथ सभी नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा मिलान किया जाना अनिवार्य है। वर्ष के दौरान, प्राप्तियों की राशि ₹ 38,102 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों और पूजीगंत प्राप्तियों का 100 *प्रतिशत*) एवं व्यय ₹ 50,454 करोड़ (कुल राजस्व और पूजीगंत व्यय का 100 *प्रतिशत*) का मिलान राज्य सरकार द्वारा कर लिया गया था।

6.6 उचन्त शेषों एवं प्रेषण शेषों की स्थिति

वित्त लेखे, उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत निवल शेषों को दर्शाते है। इन शीर्षो के अन्तर्गत, लम्बित शेषों को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पृथक लम्बित नामे एवं जमा शेषों को जोड़ते हुए निकाला जाता है। पिछले पांच वर्षों में मुख्य शीर्ष 8658-उचन्त लेखा तथा 8782-प्रेषण के अन्तर्गत उचन्त मदों का सकल नामे एवं जमा के रूप में विवरण निम्न प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
(क) 8658-उचन्त लेखा										
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचन्त	96	35	125	57	139	67	148	101	133	76
निवल	61 नामे		68 नामे		72 नामे		47 नामे		57 नामे	
102-उचन्त लेखा (सिविल)	150	132	1,551	164	1,854	223	761	266	373	338
निवल	18 नामे		1,387 नामे		1,631 नामे		495 नामे		35 नामे	
107-नकद परिशोधन उचन्त लेखा	5	43	0.40	0.38	0	0	0	0	0.02	0
निवल	37 जमा		0.02 नामे		शून्य		शून्य		0.02 नामे	
109-रिजर्व बैंक उचन्त (मुख्यालय)	111	62	(-)0.04	0	0.42	0.37	0.05	0	0.05	0
निवल	49 नामे		0.04 जमा		0.05 नामे		0.05 नामे		0.05 नामे	
110-भारतीय रिजर्व बैंक उचन्त (केन्द्रीय लेखा कार्यालय)	1	0	3,755	3,755	2	2	27	0	28	0
निवल	1 नामे		शून्य		शून्य		27 नामे		28 नामे	
111-विभागीय समायोजन खाता	0	0	0	0	0	0	0.10	0	0	0
निवल	शून्य		शून्य		शून्य		0.10 नामे		शून्य	

112-स्त्रोत पर कर कटौती उचन्त	484	494	448	468	471	498	527	568	965	1047
निवल	13 जमा		20 जमा		27 जमा		41 जमा		82 जमा	
117-रिजर्व बैंक की ओर से लेन-देन	9	0	0.09	0.01	0	0	0	0	0.09	0
निवल	9 नामे		0.08 नामे		शून्य		शून्य		0.09 नामे	
123-अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की समूह बीमा योजना	52	5	0.60	0.04	0.73	0.04	0.81	0.03	0.84	0.03
निवल	47 Dr.		0.56 नामे		0.69 नामे		0.78 नामे		0.81 नामे	
129-सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा	164	306	140	224	82	219	58	293	122	385
निवल	142 जमा		104 जमा		137 जमा		235 जमा		263 जमा	
(ख) 8782 एक ही लेखा अधिकारी को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य नकदी प्रेषण और समायोजन										
101-कोषागारों और करेंसी चैस्ट के मध्य नगद प्रेषण	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
निवल	शून्य		शून्य		शून्य		1 जमा		1 जमा	
102-लोक निर्माण प्रेषण	7,185	7,661	7,508	8,105	6,841	7,372	6,467	7,104	8,338	8,816
निवल	475 जमा		597 जमा		531 जमा		637 जमा		478 जमा	
103-वन प्रेषण	152	187	125	142	0	17	0	17	0	17
निवल	36 जमा		17 जमा		17 जमा		17 जमा		17 जमा	

6.7 लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 157 के अनुसार, अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानया संगठन को सहायता अनुदान का उपयोग के बाद सरकार को लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग पत्र क्रमांक 1-3/73-फिन (रजि.), दिनांक 28-01-1976 के अनुसार पहले दिये गए अनुदान के उचित उपयोग का तय समय में प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले संस्थानों को आगे अनुदान जारी नहीं किया जाना चाहिए, यानी अनुदान की अवधि से एक वर्ष के दौरान यू.सी. प्रस्तुत न करने की सीमा तक, एक जोखिम है कि वित्त लेखों में दिखाई गई राशि लाभार्थियों तक न पहुंची हो।

वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 5,490 करोड़ के अनुदानों के 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके थे।

31 मार्च 2023 को लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष *	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र	राशि *(₹ करोड़ में)*
2021-22 तक	2,260	1,689
2022-23#	1,846	2,554
कुल	**4,106**	**4,243**

** वर्णित वर्ष, ''देय वर्ष'' अर्थात वास्तविक आहरण से 12 माह बाद से सम्बन्धित है।*
वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 5,847 करोड़ की राशि के लिए 18,804 यू.सी. जोड़े गए।

6.8 राष्ट्रीय पैंशन प्रणाली

वर्ष 2022-23 के दौरान, एन.पी.एस. में कुल अंशदान जोकि एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है, ₹ 1,782 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान ₹ 742 करोड़ और सरकार का अंशदान ₹ 1,041 करोड़ और ब्याज ₹ 0.03 करोड़) था। सरकारी अंशदान की विस्तृत जानकारी वित्त लेखे के विवरणी संख्या 15 में उपलब्ध है। मुख्य शीर्ष 8342-117 (₹ 1,041 करोड़) के तहत दिखाई गई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में सरकार का योगदान प्रमुख शीर्ष 2071-01-117 (₹ 1,033 करोड़) के तहत दिखाई गई राशि से भिन्न है, जो कि अदालती मामलों की मंजूरी के कारण ईडब्ल्यूसी (कार्य प्रभारित कर्मचारी) मामलों के प्रसंस्करण के लिए सरकार द्वारा सार्वजनिक खाते में नियोक्ता के हिस्से को सीधे जमा करने से है। सरकार ने मुख्य शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत लोक लेखे में ₹ 1,782 करोड़ हस्तांतरित किया गया।

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या फिन (पेन)ए(3)-1/2023, दिनांक 04.05.2023 के माध्यम से 01.04.2023 से पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस) को वापस करने की अधिसूचना जारी की है।

6.9 व्यक्तिगत जमा खाते

पी.डी.लेखे नामित आहरण अधिकारियों को किसी योजना से संबंधित विशिष्ट उददेश्यों के लिए व्यय करने में सक्षम बनाते हैं।

2022-23 के दौरान, इन पी.डी.खातों में ₹ 1 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। इसमें मार्च 2023 में हस्तांतरित ₹ 0.10 करोड़ शामिल हैं, जिनमें से ₹ 0.05 करोड़ मार्च 2023 के अंतिम कार्य दिवस पर स्थानांतरित किए गए थे।

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम 2017 के नियम 200(4) के अनुसार, व्यक्तिगत जमा खातों के 66 प्रशासकों (68 में से) ने कोषागार के आंकड़ो के साथ अपनी शेष राशि का मिलान और सत्यापन किया था और प्रधान महालेखाकार कार्यालय को आगे जमा करने के लिए कोषाधिकारी को वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। व्यक्तिगत जमा खातों के 02 प्रशासको (सह आयुक्त-उपायुक्त कांगड़ा और उपमंडलाधिकारी डोडरा क्वार)ने कोषागार के आंकड़ों के साथ उनके शेष का मिलान और सत्यापन नहीं किया।

पी.डी.खातों का 31 मार्च 2023 को विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2022 को अथ शेष		वर्ष 2022-23 के दौरान परिवर्धन		वर्ष 2022-23 के दौरान बंद/निकासी		31 मार्च 2023 को अंतिम शेष राशि	
प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि
106	2	01	0.65*	39**	0.63**	68	2

** इसमें ₹ 0.36 करोड़ की व्यपगत जमा राशि शामिल है।*
*** जमा खाते मुख्य शीर्ष 8448-109 पंचायत निकाय निधि (38 पी.डी.खातेः ₹ 0.03 करोड़) और 8448-106 आई.सी.ए.आर. (1पी.डी.खाता शून्य राशि को निधि से संबंधित ₹ 0.03 करोड़ की राशि को पी.डी.ए की सूची से अलग कर दिया गया है और एक अलग सूची में रखा गया है क्योंकि वे पी.डी. खातों की श्रेणी/वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं शेष राशि ₹ 0.60 करोड़ वर्ष के दौरान निकाली गई हैं।*

6.10 रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक जमा)

31 मार्च 2023 को प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के रिकॉर्ड के अनुसार नकद शेष राशि ₹ 89.33 करोड़ (जमा) थी और आर.बी.आई. द्वारा सूचित की गई राशि ₹ 89.35 करोड़ (नामे) थी। मुख्य रूप से एजेंसी बैंकों द्वारा लेन-देन की गलत रिपोर्टिंग के कारण ₹ 0.02 करोड़ (नामे) का शुद्ध अंतर था। अंतर समाधान के तहत है।

6.11 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के गठन और प्रशासन पर दिशा-निर्देशों के संदर्भ में (मुख्य शीर्ष-'8121 सामान्य और अन्य आरक्षित निधि' जो सब्याज अनुभाग के तहत है), केंद्र और राज्य सरकार को 90:10 के अनुपात में फंड में योगदान करना आवश्यक है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में ₹ 342 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 38 करोड़ था। राज्य सरकार ने मुख्यशीर्ष 8121-122 एस.डी.आर.एफ के तहत निधि में ₹ 381 करोड़ (केन्द्रीय अंश ₹ 342 करोड़, राज्य अंश ₹ 38 करोड़) हस्तांतरित किए। केंद्र सरकार से राज्य को एन.डी.आर.एफ. के लिए ₹ 214 करोड़, प्राप्त हुए जिसे मुख्य शीर्ष 8235-125 एन.डी.आर.एफ. के तहत फंड में स्थानांतरित कर दिया गया था।

6.12 राज्य आपदा शमन कोष (एस.डी.एम.एफ.)

राज्य आपदा शमन कोष (एस.डी.एम.एफ.) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के तहत किया जाना है। यह फंड विशेष रूप से राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि(एस.डी.आर.एफ.)/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एन.डी.आर.एफ.) दिशानिर्देशों और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा के तहत आने वाली आपदा के संबंध में शमन परियोजना के उद्देश्य से है। केंद्र और राज्य सरकार को 90:10 के अनुपात में फंड में योगदान करना आवश्यक है। राज्य सरकार ने प्रमुख शीर्ष 8121-130 राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत अधिसूचना संख्या फिन-जी-सी (2) 05/2022, दिनांक 27.02.2023 के माध्यम से एस.डी.एम.एफ. बनाया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को केंद्र सरकार से ₹ 43 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य का हिस्सा ₹ 5 करोड़ था। राज्य सरकार ने प्रमुख शीर्ष 8121-130-एस.डी.एम.एफ. के तहत नामित निधि में ₹ 91 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा ₹ 82 करोड़ और वर्ष 2021-22 से संबंधित राज्य का हिस्सा ₹ 9 करोड़) हस्तांतरित किया।

राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए निधि में ₹ 48 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा ₹ 43 करोड़ और राज्य का हिस्सा ₹ 5 करोड़) हस्तांतरित नही किया और इस तरह, राजस्व व्यय उस सीमा तक कम बताया गया है।

6.13 राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, प्रतिपूरक वनरोपण के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त राशियों के लिए राज्य सरकारों को राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि को लोक लेखा में सब्याज अनुभाग के तहत स्थापित करना आवश्यक है।

राज्य सरकार को वर्ष 2022-23 के दौरान, उपयोगकर्ता एजेंसियों से ₹ 0.01 करोड़ राशि (2021-22 कोई प्राप्ति नहीं) प्राप्त हुईऔर निधि में भेज दी गई। सरकार को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण जमा से 2021-22 और 2022-23 के दौरान कोई राशि प्राप्त नहीं हुई।

वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने ''एस.सी.ए.एफ.'' के अंतर्गत शीर्ष 8121-129 के अंतर्गत ₹ 54 करोड़ का कुल ब्याज जमा किया। इसके अलावा तदर्थ कैम्पा में पड़ी अव्ययित धन राशि पर ₹ 2 करोड़ का ब्याज भी निधि में जमा किया गया था। 31 मार्च 2023 तक राज्य प्रतिपूरक वनरोपण कोष में कुल शेष राशि ₹ 1,567 करोड़ थी।

6.14 राज्य सरकार द्वारा लगाये गए उपकर

(क) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकरः

भारत सरकार ने श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए उपकर लगाने और एकत्र करने के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) अधिनियमित किया गया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, सरकार श्रम उपकर के रूप में ₹ 44 करोड़ (2021-22: ₹ 39 करोड़) एकत्र किए तथा लोक लेखे के तहत प्रमुख शीर्ष 8443 में दर्ज किए और भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को ₹ 42 करोड़ (2021-22: ₹ 42 करोड़) हस्तांतरित किए।

इस प्रकार, 31 मार्च 2023 को प्रमुख शीर्ष 8443 से अहस्तांतरित राशि ₹ 27 करोड़ थी (31 मार्च 2022 को ₹ 25 करोड़)।

(ख) अन्य उपकर/शुल्क/अधिभारः

वर्ष 2022-23 के दौरान, सरकार ने उपकर/शुल्क/अधिभार (श्रम उपकर के अलावा) के संग्रह के रूप में ₹ 68 करोड़ (2021-22: ₹ 86 करोड़) एकत्र किए। राज्य सरकार ने ऐसे उपकर/शुल्क/अधिभार के संबंध में कोई निधि सृजित नहीं की है।

6.15 आपत्ति पुस्तिका में उचंत लेखे के तहत दर्ज/हटाये गये लेनदेन

2022-23 के दौरान, बजट में अधिसूचित योजना के बिना किये गए व्यय के कारण ₹ 0.20 करोड़ (मुख्य शीर्ष 4210), की राशि को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों में उचंत लेखे में रखा गया है। इस प्रकार, वित्त लेखों में उक्त राशि को पूंजीगत व्यय के रूप में तथा विनियोग लेखों में वर्ष 2022-23 के बजट प्रावधानों के विरूद्ध वास्तविक व्यय के रूप में नहीं लिया गया है।

इसके अलावा, पिछले वर्षों के आपत्ति पुस्तिका में उचंत की ₹ 449 करोड़ की राशि (2019-20 के ₹ 158 करोड़, 2020-21 के ₹ 213 करोड़ और 2021-22 के ₹ 78 करोड़) को 2022-23 के दौरान हटा दिया गया है और संबंधित व्यय लेखा शीर्ष (राजस्व व्यय ₹ 269 करोड़ और पूंजीगत व्यय ₹ 180 करोड़), के तहत दर्ज किया गया है। इस प्रकार, वित्त लेखों में राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय और विनियोग लेखों में वर्ष 2022-23 के बजट प्रावधानों के विरूद्ध वास्तविक व्यय को उस सीमा तक बढ़ा दिया गया है।

6.16 एकल नोडल एजेंसी बैंक खाते में पड़ी अव्ययित राशि

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 1(13) पी.एफ.एम.एस./एफ.सी.डी./2020 दिनांक 23 मार्च 2021 से केंद्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) के तहत धन जारी करने और एकल नोडल एजेंसी के माध्यम से जारी धन के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया अधिसूचित की थी। प्रत्येक सी.एस.एस. के लिए, एस.एन.ए. की स्थापना राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत अनूसूचित वाणिज्यिक बैंक में स्वयं के बैंक खाते के साथ जाती है। प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार को अपने खातों में प्राप्त केंद्रीय हिस्से को संबंधित राज्य के हिस्से के साथ संबंधित एस.एन.ए. के खाते में स्थानांतरित करना है।

पी.एफ.एम.एस. पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान खजाने में केंद्राश के रूप में ₹ 3,622 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान एस.एन.ए. को खजाने में प्राप्त केंद्र का हिस्सा ₹ 3,294 करोड़ और राज्य का हिस्सा ₹ 784 करोड़ हस्तांतरित किया। 31 मार्च 2023 तक, एस.एन.ए. के बैंक खातों में ₹ 2,722 करोड़ बिना खर्च किए पड़े थे।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2023
https://cag.gov.in

https://cag.gov.in/ae/himachal-pradesh/hi